हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त, 2019 को अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला-171004 में 11.05 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकि प्रश्न

20/08/2019/1105/MS/DC/1

अध्यक्षः माननीय सदस्य मुकेश अग्निहोत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री मुकेश अग्निहोत्री(हरोली): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीते कल नियम-67 के तहत हमने आपसे ऊना प्रकरण के बारे में आग्रह किया था और यह एक विधायक का मामला है। उस पर नियमों का हवाला देकर आपने हमें बोलने की अनुमति नहीं दी और आपने माननीय मुख्य मंत्री जी को जवाब देने के लिए अधिकृत कर दिया। ठीक है, यह आपका विशेषाधिकार है। मुख्य मंत्री जी ने जो इनको पुलिस ने लिखकर दिया या बताया, अपना पक्ष यहां रखा। जो हमारा पक्ष है उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस विधायक दल प्रदेश में हर तरह के माफिया के ख़िलाफ है चाहे वह खनन माफिया, वन माफिया, नशा माफिया या शराब माफिया हो, उस पर एक्शन लेने के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं और जिस भी पैमाने पर आप एक्शन लेंगे, सारा विधायक दल आपके साथ है। लेकिन मुद्दे में आने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि सारा विधायक दल माफिया के साथ खड़ा है। मुख्य मंत्री जी की बहुत ही जिम्मेदारी वाली कुर्सी होती है और हम 21 लोग आपके साथी हैं। आप विपक्ष के लोगों को यह कहेंगे कि हम सब माफिया हैं और माफिया के साथ खड़े हैं, सही नहीं है। फिर आपने कहा कि हम माफिया और उसके हमदर्दों को नहीं बख्शेंगे यानी आप हमें उनके हमदर्द बता रहे हैं।

20.08.2019/1110/जेके/डीसी/1

जैसे कि अखबारों में आया है, जो मुख्य मंत्री जी ने बोला होगा निश्चित तौर पर वही आया होगा। आज कहा जा रहा है कि अखबारों ने क्या छाप दिया लेकिन अखबार वही छापते हैं जो आपने बोला होगा। यहां पर आपने कहा कि न तो शराब माफिया को छोड़ेंगे, न उसके हमदर्दों को छोड़ेंगे। आपने यहां पर कह दिया कि शराब माफिया के लिए सदन में विपक्ष खड़ा हो रहा है। यहां आपने कह दिया कि 'Opposition MLAs stage walkout over 'victimisation' of Una MLA's staff' and " Congress shielding liquor mafia, says

Thakur". यह सारी अखबारों में आज आया है । अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में हमारी मीटिंग हुई। आपके पास सारा विधायक दल आया था, including Shri Virbhadra Singh, former Chief Minister, जो छः दफा मुख्य मंत्री रहे हैं। लम्बे अर्से का जिनका 55 साल का राजनीतिक तुजुर्बा है।, वे भी आए और सारा विधायक दल आपसे मिला। आपने मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया। मुख्य मंत्री जी के समक्ष हमने सारा इशू रखा। ये समझ भी गए होंगे कि पुलिस ने किस ढंग से साजिश रची है। किस ढंग से विधायक और एस0पी0 का वहां पर माफिया के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, उसकी बैकग्राऊंड में खनन माफिया है। वहां पर रोज़ाना एक हजार टिप्पर निकल रहे हैं। वहां स्वां में 150 जे0सी0बी0 लगी हुई हैं। वहां पर 922 करोड़ रुपये का स्वां का प्रोजैक्ट नष्ट हो रहा है। वहां पुलों के पास रेत के डिपो लगा दिए गए हैं। मंत्री जी ने भी कल इस बात को माना कि रेत के डिपो नहीं लग सकते हैं। हम यह कहते हैं कि अगर हमारे टाइम में भी कोई लीज दी गई थी तो अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको रद्द कर दें। हर तरह के माफिया पर आप एक्शन लें लेकिन जिस ढंग से यह हुआ है, एम0एल0ए0 को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। एम0एल0ए0 के इन्स्टिच्यूशन का सवाल है। सवाल यह नहीं है कि वहां पर जो भी आपने शराब वाले पकड़े हैं, हमारी तरफ से आप उनके प्रति जो मर्जी एक्शन करें लेकिन वहां पर जो एस0पी0 ने कोशिश की कि एम0एल0ए0 को ट्रैप किया जाए, एम0एल0ए0 की गाड़ी ज़ब्त की जाए, एम0एल0ए0 के लोगों को हथकड़ियां लगा दी जाए और उनको थाने में पीटा जाए, वहां पर एस0पी0 खुद पीटता है और एस0पी0 इस समय सबसे बड़ा माफ़िया का संरक्षक है। हमने डी0जी0पी0 के ध्यान में भी ये बातें कई बार लाई हैं। इनको हमने व्हाट्सऐप मैसेज़ भी भेजें हैं। मैं अपने व्हाट्सऐप से भी आपको दिखा सकता हूं कि कितनी बार हमने यह बात उनके ध्यान में लाई लेकिन अंततः यह हुआ कि उन्होंने हमारे एम0एल0ए0 को ट्रैप करने की कोशिश की। हम कल जब यहां पर बात रख रहे थे तो उस समय आपके मंत्री भी नारे लगा रहे थे। सारे मंत्री यहां पर खड़े हो कर नारे लगा रहे थे। यहां पर पार्टी का मसला नहीं है। आप विधायक दल को पेंट करने की कोशिश न करें, कल आपको भी इधर आना है। हमारी मांग है कि आप इसमें हाई लैवल इन्क्वायरी कांस्टिच्यूट करवाएं लेकिन उस इन्क्वायरी की जांच स्वतंत्र तभी हो पाएगी, पहले एस0पी0 को वहां से बर्खास्त करें या शिफ्ट करें, यह आपकी च्वाइस है। यह मुख्य मंत्री जी की च्वाइस है। लेकिन फेयर ट्रायल तभी होता है, जब किसी भी बात के लिए वहां पर दोनों पार्टियों के

लोग नहीं होंगे। आप एस0पी0 के खिलाफ भी उतना ही एक्शन लें, जिसने अति उत्साह में यह कोशिश की है कि वह एम0एल0ए0 को इस ढंग से ट्रैप कर देगा। हमारी पहली मांग यह है कि आप वहां से एस0पी0 को शिफ्ट करें, बर्खास्त करें और दूसरा, मुख्य मंत्री जी ने हमारे विधायक दल को माफिया पेंट किया है, मुख्य मंत्री जी इसके लिए माफी मांगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड में स्पष्ट होगा अगर आप उसमें देखेंगे। मैंने जब यहां पर बात कही तो विधायक दल को कभी भी माफिया नहीं कहा। मैंने यह कहा कि एक माफिया के संरक्षण में विधायक दल इस हद तक आ जाएगा यह हमने सोचा भी नहीं था। आपने अपना पक्ष रखा

20.08.2019/1115/SS-HK/1

लेकिन दूसरा भी पक्ष है, कल हम आप लोगों के साथ इस सारे विषय को लेकर बातचीत नहीं कर पाए थे। पुलिस की ओर से जो रिपोर्ट आई है हमने उसका ज़िक्र किया है। आपने अपना पक्ष रखा और उसको हमने सुना। आपका पक्ष सुनने के बाद हमने इस बात को महसूस किया कि आज की हमारी परिस्थिति यह है कि हम न इस पक्ष का निर्णय ले सकते हैं और न उस पक्ष का निर्णय ले सकते हैं क्योंकि इसमें जांच चली हुई है। जांच को निष्कर्ष तक पहुंचने देना चाहिए। जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आपने जो अपनी भावना व्यक्त की कि वहां पर जो एस0पी0 है अगर वह जांच करेगा तो उसमें पारदर्शिता नहीं होगी। जिस रूप में आप चाहते हैं कि बिना दखल के सारी चीज़ें हों, आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वे सारी चीज़ें नहीं होंगी। हमने उस बात को भी सुना है, जो आपने आग्रह किया है। लेकिन हमारा एक बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कहना है कि विधायक इंस्टिट्यूशन के खिलाफ कतई भी कोई विषय नहीं है। जिन विधायक, श्री रायजादा जी का ज़िक्र हुआ, न उनके खिलाफ अभी तक मामला दर्ज है और न ही बाकी विधायकों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम लेने का कोई विषय है। लेकिन उसके बावजूद जो तथ्य उसमें सामने आये हैं, अगर हम उनको देखें तो उसमें एक चीज़ है कि उसमें जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। निष्पक्ष जांच के लिए एक माध्यम/रास्ता क्या हो सकता है? आज न मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं और न जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है उसको थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से मानने के लिए तैयार हूं। ऐसे में रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि हम इंवैस्टीगेशन के प्रोसैस में ऐसी व्यवस्था दें

जिसमें पारदर्शिता लगे। निष्पक्ष होकर उसमें इंक्वायरी हो। वही एक माध्यम है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इनके सामने प्रस्ताव कर रहा हूं। मैंने आज आपके सामने बात कही है कि माफिया के खिलाफ, चाहे सत्तापक्ष है या विपक्ष है, हमको एकजुट होकर काम करना है। यह बात आपने अपनी ओर से भी कही। इसका मैं भी स्वागत करता हूं। चाहे वह शराब माफिया है, खनन माफिया है या ड्रग्स माफिया है, माफिया के खिलाफ तो लड़ाई जब आप लोग सत्ता में थे तो लड़ते रहे और जहां आज हम सत्ता में हैं हम भी उसको लड़ते रहेंगे और अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी भी कोशिश यह नहीं थी कि हम विधायकों की भावनाओं को आहत करें। लेकिन जिस तरह से एकदम यहां पर विषय को उठा दिया गया और उसमें एक ही चीज़ सामने आई कि जो उस आदमी ने किया है वह गलत किया ही नहीं है। जो शराब की पेटियां गाड़ी में लेकर जा रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ा। एक संदेश उसका यह जा रहा था कि उसने गलत कुछ नहीं किया है। वह संदेश भी जाना ठीक नहीं है। न इस पक्ष के लिए ठीक है और न उस पक्ष के लिए ठीक है। अगर शराब की पेटियां गाड़ी में ले जा करके कहीं पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ कार्रवाई की बात हमने कही है। हमने कल चाहे सदन के अंदर बात कही है या बाहर कही है, हमने कहा कि विधायक के खिलाफ इस मसले को नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक माफिया के खिलाफ कार्रवाई है। हमारा नज़रिया यह होना चाहिए, यह बड़ा स्पष्ट है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसी परिस्थिति में लगता है कि पारदर्शिता नहीं है तो मैं आपके समक्ष प्रस्ताव रखता हूं कि हम इस इंक्वायरी को शिफ्ट कराते हैं, वहां एस0पी0 इंक्वायरी नहीं करेगा। इस इंक्वायरी को शिफ्ट करके हम सी0आई0डी0 को देते हैं और आई0जी0 की देख-रेख में हम इस मामले की तफ़तीश कराने के लिए तैयार हैं। मैं यह भी आपको सुनिश्चित करता हूं कि आप एस0पी0 की ट्रांसफर/सस्पैंशन करने की बात कर रहे हैं, मैं आपके बीच में यह कह रहा हूं कि 15 दिन के अंदर इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाने के पश्चात् अगर वहां पर एस0पी0 दोषी पाया जाता है तो ट्रांसफर ही नहीं बल्कि विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ की जायेगी। ऐसी परिस्थिति मे

20.08.2019/1120/केएस/एचके/1

मुझे लगता है कि आज की तारीख़ में यही एक संतुलित और निष्पक्ष माध्यम है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं और मुझे लगता है कि इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। मैं इस बात को सुनिश्चित करुंगा कि इस इन्क्वायरी में एस.पी. को पूरी तरह से अलग किया जाएगा और उनका कोई दख़ल नहीं रहेगा। मैं आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की गारंटी देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह सभी को स्वीकार्य हो और उसके बाद सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। धन्यवाद।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, हमने पहले ही कांग्रेस विधायक दल की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हर तरह के माफ़िया के खिलाफ़ आप जो एक्शन लेना चाहते हैं, खुले दिल और दिमाग से लें। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक संदेश जा रहा है, कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। जो लोग पकड़े हैं, शराब के मामले में आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं, करें। आपने कहा इन्क्वायरी कंस्टीट्यूट करते हैं और एस.पी. को उससे अलग करते हैं। लेकिन फेयर ट्रायल तभी होगा जब वहां पर एस.पी. नहीं होगा। आप एस.पी. को वहां से शिफ्ट करें। आप जब 15 दिन की बात कर रहे हैं कि 15 दिन में आप इन्क्वायरी कम्पलीट करवा देंगे, आप पैंडिंग इन्क्वायरी एस.पी. को शिफ्ट कर दें।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, कल से ही इस सदन में काफी चर्चा में एक विषय रहा है। मैं इस विषय के बारे में अपने मित्रों का ध्यान जरा पीछे की ओर ले जाना चाहता हूं। 21 दिसम्बर 1997 को जब उस वक्त के मुख्य मंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी मेरे चुनाव क्षेत्र में आए थे, मैं उस क्षेत्र का तथा कांग्रेस पार्टी का विधायक था। उस समय हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैंने उस वक्त के मुख्य मंत्री जी के सामने, हम स्टेज पर बैठे थे, मैंने एक छोटी सी अर्ज की थी, हाथ जोड़ कर प्रार्थना की थी कि यह मेरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र है, आप इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। आप हर रोज़, हर महीने, हर वर्ष किसी भी विधान सभा चुनाव क्षेत्र में नहीं आ सकते । मैं यहां पर अपने लोगों की छोटी-छोटी बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मेरा इतना ही कहना है कि उस वक्त

मुख्य मंत्री जी ने, आज भी वीरभद्र सिंह जी इस माननीय सदन में बैठे हैं, इन्होंने एस.पी. को सीधे आदेश किया कि इनको अरैस्ट करो। ऐसा नहीं है कि वह चर्चा किसी बंद कमरे में हो रही थी। वहां पर हजारों लोग उसके साक्षी हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अगर आप आज के माहौल में विधायक को अरैस्ट करना चाहते हैं तो कर लो । ये माननीय सदन में ही मौजूद हैं। आप इस मामले को किस दिशा में ले जा रहे हैं?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः मुकेश जी, प्रश्न दिशा का नहीं है, प्रश्न इंस्टीट्यूशन का है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः कृपया बैठिए। ठाकुर साहब, एक मिनट बैठिए। मुकेश जी, आप एक मिनट बैठिए। मेरा एक आग्रह है कि विषय बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रपोज़ल रखी है। हम विषय को उलझाए बिना, मुकेश जी ने एक बात कही है, अगर उसमें कोई बात माननीय मुख्य मंत्री जी ऐड करना चाहते हैं तो कृपया करें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि विपक्ष भी सहमत होगा, इन्क्वायरी हम शिफ्ट कर रहे हैं, सी.आई.डी. को दे रहे हैं। आई.जी. की निगरानी में हम इन्वैस्टिगेशन के लिए बोल रहे हैं।

20.8.2019/1125/av/yk/1

दूसरा, एस0पी0 की ट्रांसफर और ससपैंशन की बात इनकी तरफ से बार-बार आ रही है तो मुझे यह लगता है कि शराब तो पकड़ी गई है। (...व्यवधान...) अब मेरी बात सुन लीजिए, शराब पकड़ी गई है और जो आदमी शराब ले जा रहा था उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं हो सकता इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम एस0पी0 को हटाए या उसे ससपैंड करें तो माफिया और ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता है; हमें इस बात का समझना चाहिए। मैंने एक माध्यम निकाला और मुझे लगता है कि इससे उपयुक्त कोई माध्यम हो ही नहीं सकता जिसका मैंने जिक्र किया है। इस माध्यम से

आपकी पूरी बात रखी जा रही है। वहां पर एस0पी0 के रहते हुए उनको इनक्वायरी से डिसएसोसिएट करना और इनक्वायरी को सी0आई0डी0 को ट्रांसफर करना अपने आपमें एक बड़ा संदेश है; इसमें हमने आपकी बात को माना है तथा इस तरह से जांच का एक ठीक रास्ता निकल रहा है। लेकिन एस0पी0 को एक ऐसे जंक्चर पर जबकि जांच कनक्लूज़न पर नहीं आई है, उससे पहले ही हम स्थानांतरण कर दें तो यह संदेश माफिया के लिए अच्छा नहीं जायेगा क्योंकि शराब तो पकड़ी गई है। ऐसा करने से इसमें संलिप्त श्री अरुण कुमार को एक बहुत बड़ा संदेश जायेगा कि एस0पी0 हटा दिया या उसका स्थानांतरण कर दिया; इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए। विधायक के सम्मान के लिए पूरा सदन एकजुट है क्योंकि आप उस गाड़ी में नहीं थे और न ही आप उस मौके पर थे। हम इस बात से सहमत है कि आपकी गाड़ी जा रही थी और उसमें आपके पी0एस0ओ0 व ड्राइवर इत्यादि के साथ मौके पर स्कफल हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहां हुआ और ऐसी परिस्थिति में अगर हम इस इनवैस्टिगेशन को इस रूप में आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा रास्ता निकल आयेगा। मैं इस बात को फिर से एनश्योर कर रहा हूं कि उसके बावजूद भी एस0पी0 ने जो कार्रवाई की है अगर उसमें पाया गया कि कार्रवाई में गलती हुई है तो ऐसी स्थिति में एस0पी0 के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं बल्कि एस0पी0 का स्थानांतरण भी करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात की है। (...व्यवधान...) इसका समाधान इसी प्रकार से निकलेगा। (...व्यवधान...) ऐसे सब लोग बोलेंगे तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। (...व्यवधान...) कैसे निकलेगा? यह तो स्कोर करने वाली बात होगी। मैं श्रीमती आशा कुमारी जी को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह माना है कि जांच की जरूरत है मगर साथ में यह पेंट करने की कोशिश की कि जो शराब पकड़ी गई है उसकी जांच तो होगी। शराब पकड़ी गई है उसके बारे में आपने जो

करना है वह कीजिए।(...व्यवधान...) नहीं, आप बार-बार यह कह रहे हैं कि जो शराब पकड़ी गई है (...व्यवधान...) तो शराब माफिया बड़ा भारी उत्साहित हो जायेगा। आप शराब माफिया क्या, माइनिंग माफिया या दूसरे सभी माफिया को अंदर कीजिए। Our inquiry related to the action which was taken against the Hon'ble MLA of Congress Party and his personal staff. इन दो बातों को अलग तरह से देखा जाए। (...व्यवधान...) पर्सनल स्टाफ को हथकड़ियां लगाई गईं और सबको मालूम है कि उस रास्ते से रोज इनकी गाड़ी जाती है। जिस तरह से उन्होंने पर्सनल स्टाफ को फंसाने का प्रयत्न किया और वह एस0पी0 वहीं पर होगा तो वहां पर वही थाना है वही स्टाफ है; वह स्टाफ अपने एस0पी0 के विरुद्ध क्या बोलेगा? We are not interested in Sharab Mafia and it should not be protected at all. Put them behind bars. Sh. Bikram Singh Ji (indicating towards Hon'ble Industries Minister), why don't you put that Khanan Mafia behind the bars whether it is in Chamba, Una or in your own district.

20/08/2019/1130/टी0सी0वी0/वाई0के/1

That is a different issue. We are not for Sharab Mafia. But we want a fair inquiry in whatever happened with the staff of our Hon'ble MLA. उसके बाद विधायक की गाड़ी के नम्बर का फोटो और जिस गाडी में शराब थी उस गाड़ी का फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर चलाया गया और जिन्होंने इसे सोशल मीडिया पर चलाया, उनके खिलाफ़ शिकायत करने पर एफ0आई0आर0 तक दर्ज़ नहीं की गई। We are only worried about our Hon'ble MLA and not at all about your Mafia. माफिया के खिलाफ़ आप जो करना चाहते हैं करिए । लेकिन इंक्वायरी का यह एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जिसके खिलाफ़ इंक्वायरी होती है that person is removed from his post. ये हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि यदि वह (एस0पी0) दोषी नहीं पाया जाएगा तो आप उसको वहीं पर वापिस लगा देना। Why not the others?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विषय माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ने रखा है, जैसे इन्होंने कहा कि हम जिला चम्बा, कांगड़ा और ऊना में कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर जहां पर भी कोई समस्या मेरे ध्यान में आती है, मैं वहां पर व्यक्तिगत रूप से जा रहा हूं। जहां-जहां भी कोई समस्या आ रही है, हम उसको हल करने के लिए पूरज़ोर प्रयास कर रहे हैं। (...व्यवधान...)

अध्यक्षः मैं यह अंतिम अवसर दे रहा हूं , आप इसको सोर्टआउट करें, अन्यथा मैं अन्य विषय शुरू कर रहा हूं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सिटींग एस0पी0 से इंक्वायरी को सी0आई0डी0 में शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा संदेश है। यह हम आपके आग्रह के आधार पर कर रहे हैं। दूसरा, मैंने कहा कि सी0आई0डी0 के माध्यम से इस मामले में इंवेस्टीगेशन करेंगे और एस0पी0 (ऊना) का इसमें कोई दख़ल नहीं रहेगा, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। (...व्यवधान...)

अध्यक्षः प्लीज़ आशा जी बोलने दीजिए। (...व्यवधान...) अगर आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे होगा? माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मेरे या इनके बोलने से कोई अपराधी सिद्ध नहीं होगा, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। आपकी अपनी आशंकायें हैं और हमारी अपनी आशंकायें हैं लेकिन वे आशंकायें यह सिद्ध नहीं करती है कि अपराध इसने ही किया है या उसने नहीं किया है। इसलिए जब तक अपराध सिद्ध न हो, तब तक किसी को अपराधी कहना उचित नहीं होगा। यदि विधायक के साथ व्यक्तिगत रूप से कोई बात हुई होती तो निश्चित रूप से वह विशेषाधिकार हन्न का मामला बनता है। लेकिन माननीय विधायक का जो स्टॉफ है, उसको विधायक की श्रेणी में नहीं ला सकते। (...व्यवधान...) विधायक के खिलाफ़ अभी तक मामला दर्ज़ कहां हुआ है? (...व्यवधान...) बिल्कुल भी नहीं हुआ है। (...व्यवधान...)

अध्यक्षः प्लीज, जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं तो आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा यही कहना है कि विधायक के साथ स्टॉफ को इक्वेट नहीं कर सकते हैं।

20-08-2019/1135/NS/AG/1

यदि माननीय विधायक के साथ व्यक्तिगत रूप से ऐसी बात हुई होती तो पूरा सदन साथ में होता। स्टॉफ वालों ने क्या किया, यह बात मान कर चलना चाहिए। स्टॉफ को वह प्रिविलेज नहीं मिल सकते हैं जो विधायक को मिलते हैं। मेरा इतना ही कहना है। हमने जो रास्ता निकाला है इससे ही आगे बढ़ने का रास्ता निकलता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सदन की कार्यवाही में सहयोग दें। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः अब आप तय कर लें कि कौन बोलेंगे मुकेश जी या सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी? ---(व्यवधान)--- सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी आप बोलिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्क्वायरी की है और जिस व्यक्ति के खिलाफ इन्कवायरी होने जा रही है तथा जिस व्यक्ति की ये 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगने वाले हैं।

Chief Minister: Inquiry is not against the Superintendent of Police.

अध्यक्षः इंसिडेंस के खिलाफ इन्कवायरी है। ---(व्यवधान)--- प्लीज़ बीच में मत बोलिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः पूरा कांग्रेस विधायक दल ---(व्यवधान)---कांग्रेस विधायक दल ने एक मांग आपके पास रखी है। आप चाहते हैं कि ---(व्यवधान)--- कांग्रेस विधायक दल ने एक बात रखी है। विधायक दल के नेता ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि इन्कवायरी किस चीज़ की हो रही है? हमने पिछले कल भी आपके समक्ष बात रखने की कोशिश की है। मैं आपके ध्यान में दो बातें लाना चाहता हूं जो सब विधायकों से संबंधित हैं। आपने शराब माफिया को पकड़ा, बिल्कुल ठीक किया। आप उसे दस दिन जेल में रखो हमें कोई आपत्ति नहीं है। शराब माफिया को पकड़ा उनकी गाड़ी कहां थी? पी0एस0ओ0 और विधायक का ड्राईवर वहां जाते हैं। सुनो। सुनो। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय सदस्य ये सारे विषय आ गए हैं। ---(व्यवधान)--- प्लीज। देखिए। एक मिनट, माननीय सुखविन्द्र जी, इस विषय को जीरो से शुरू करने का कोई अर्थ नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसके ऊपर आपकी क्या संतुष्टि है? केवल इसके ऊपर बोलें। अन्यथा मैं मुकेश जी को बोलने के लिए कह रहा हूं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः ---(व्यवधान)--- हमारा यह कहना है ---(व्यवधान)--- मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः प्लीज़, इनको बोलने दें। ---(व्यवधान)---

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः जिसके खिलाफ इन्कवायरी हो रही है आप उसको सस्पैंड करो या ट्रांसफर करो। आप उनको छुट्टी भेज दो जब तक इन्कवायरी नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस हमारी इतनी ही मांग है।

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी आप बोलिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात स्पष्ट की कि वे हाई लेवल इन्कवायरी करवाने को तैयार हैं। दूसरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि वे 15 दिन में इन्कवायरी कन्क्लूड करने के लिए तैयार हैं। यह सरकार और विपक्ष का कोई ईगो का मसला नही है। किस ढंग से हमारे विधायक को डिफ्रेम करने की कोशिश हुई है, यह मसला है। हम इसके लिए ही जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि माफिया के खिलाफ आप जितना बड़ा ऐक्शन लेना चाहते हैं आप लें। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर सहमत हैं कि 15 दिन में इन्कवायरी कन्क्लूड हो जाएगी तो वहां से 15 दिन के लिए एस0पी0 को शिफ्ट करने में क्या परेशानी है? टर्म्ज ऑफ रिफेंर्स उसके बता देने चाहिए और आप पैंडिंग इन्कवायरी तक एस0पी0 को वहां से शिफ्ट करें। ---(व्यवधान)--- फेयर ट्रायल तो तभी होगा अगर वहां पर यह एस0पी0 नहीं होगा। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी आप मेरी तरफ देख कर बात करें। आप उधर बात न करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्कवायरी का मसला बिल्कुल सीधा है कि किस ढंग से हमारे विधायक और उसके स्टॉफ को बदनाम करने की कोशिश हुई है। जिस एस0पी0 का उसमें हाथ है उसके साथ झगड़ा चल रहा है तो आपने इन्कवायरी का फैसला लिया, we do welcome it. आपने 15 दिन में कन्क्लूड करने की बात कही, हम इसका

स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी मांग यह है कि फेयर ट्रायल तभी होगा जब आप एस0पी0 को शिफ्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आप एस0पी0 को शिफ्ट करें और इसको ईगो का सवाल न बनाएं।

अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

20.08.2019/1140/RKS/AG-1

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही है वह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अपनी बात पर पूरी तरह स्थिर हूं। यह जांच न तो विधायक के खिलाफ है और न ही एस.पी. के खिलाफ है। मूल रूप से यह जांच एक इंसिडेंट के खिलाफ है। जो घटना घटित हुई थी उसके विरुद्ध यह जांच हो रही है। कहां से शराब आई, किसकी गाड़ी में आई, कहां जा रही थी, इन सारी चीजों को लेकर जांच हो रही है। ...(व्यवधान)... जो जांच के माध्यम से एक निष्पक्ष रास्ता निकला सकता था, उस दिशा में कोशिश की गई है और आप लोगों को इसे स्वीकार करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि यदि एस.पी. दोषी पाया जाएगा तो उसकी ट्रांसफर ही नहीं बल्कि उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसलिए हमें इस विषय को छोड़कर सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ..... (व्यवधान).....

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरंभ

<u>प्रश्न संख्याः1166</u>

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय विधायक एवं CPI(M) के माननीय विधायक, श्री राकेश सिंघा जी वैल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

श्री बलबीर सिंह(चिंतपूर्णी)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टकराला में अभी तक कुल कितनी दुकानें निर्मित हुई हैं और उन दुकानों को कब तक सबलैट कर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत): माननीय अध्यक्ष महोदय, टकराला में दो हजार टन की क्षमता के गोदाम का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रैल, 2017 में आठ दुकानों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था जो अब पूर्ण हो चुका है। इस निर्माण कार्य में लगभग 14,22,952/- रुपये खर्च किए जा चुके हैं। बिजली इत्यादि के कार्य पर मु0 40,691/- रुपये व्यय हुए हैं। इस कार्य के निष्पादन हेतु अभी तक कुल राशि 1,54,13,969/- रुपये खर्च की जा चुकी है। उक्त मंडी को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया जारी है और जैसे ही सभी चीजें पूर्ण हो जाएगी, इन दुकानों का आबंटन कर दिया जाएगा।

20.08.2019/1145/बी0एस0/डी0सी0-1

<u>प्रश्न संख्या : 1167</u>

श्री जीत राम कटवाल (झण्डुता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जो भाखड़ा बांध विस्थातिप हैं वे इंक्रोचर नहीं हैं। उन्होंने अपनी जमीनें डैम बनाने के लिए दी हैं। उन लोगों की परिस्थति भी अलग है। उन लोगों के घरों की बिजली और पानी के कनैक्शन काट दिए गए हैं। इस विषय में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बंदोबस्त के अलावा कोई ऐसी मशीनरी तैयार करें जो इस मामले को बारीकी से देखें, जिससे भाखड़ा बांध विस्थापितों की जमीन संबंधी समस्या और विसंगतियो को दूर किया जा सके। उन्हें दुरुस्त करने के लिए कोई कमेटी कॉस्टिट्यूट् करने की कृपा करें ताकि उन लोगों को राहत मिल सके।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं, असल में जब भाखड़ा डैम बनना था, उस वक्त इस प्रोजैक्ट को बनाने की दृष्टि से कुछ बातें जल्दबाजी में की गई और जल्दबाजी में करते-करते परिस्थिति यह बन गई कि जिन लोगों की जमीन उस बांध की परिधि में आ रही थी, उन लोगों से बार-बार यह आग्रह किया गया कि आप प्रोजैक्ट बनाने के लिए इस जमीन को छोड़िए। इस आग्रह को आखिरकार उन लोगों ने स्वीकार किया। उसके पश्चात वे लोग वहां से सिफ्ट किए गए और जहां भी जमीन उपलब्ध

थी वहां उन लोगों को रहने के लिए कहा गया। उस समय उन लोगों ने वहां अपने परिवार के साथ रहना आरम्भ कर दिया। आज की तारीख में परिस्थिति यह हो गई कि जो जमीन इन लोगों की अपनी थी वह तो पानी में चली गई लेकिन जो जमीन उन्हें आबंटित की गई उसमें रेवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक खसरा नम्बर का मिलान नहीं हो पा रहा है। ये लोग जमीन ज्यादा नहीं मांग रहे हैं जितनी जमीन इन लोगों की प्रोजैक्ट में गई हैं वह उतनी ही जमीन की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई यह पैदा हुई है कि जहां ये लोग रह रहे हैं और जमीन में खेती कर रहे हैं, वह जमीन रेवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक सैटल नहीं हो पा रही है। इस बात की सबसे ज्यादा पेचीदगी आई है। ऐसी परिस्थिति में मुझे जो जानकारी दी गई है कि बहुत से लोगों के बिजली और पानी के कनैक्शन काट दिए गए हैं। जिस कारण लोगों को और भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम महसूस कर रहे हैं कि इसमें बंदोबस्त की आवश्यकता है और यह भी महसूस कर रहे हैं कि जो लोग वहां से बेघर हुए हैं उनको बसाना बहुत जरूरी है। उन लोगों को जमीन मिलना बहुत जरूरी है। उन लोगों की मदद करने की बहुत आवश्यकता है। लोगों की जमीने जो आगे-पीछे हुई हैं उन्हे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इस बारे में अवश्य ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात के लिए आग्रह किया है कि एक कमेटी कॉस्टिट्यूट् की जाए और वह कमेटी कॉस्टिट्यूट् करके जो जमीन असल में उनकी बनती है उसके साथ मिलान करके और जो रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार कार्य किया जा सके उसके लिए कोशिश करें तो अवश्य उन लोगों को इस समस्या से राहत मिल सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक कमेटी एफ.सी. (रेवेन्यू) की अध्यक्षता में कॉस्टिट्यूट् करने का आश्वासन देता हूं। क्योंकि हमारा मकसद और मंशा यही है कि इन लोगों की मदद की जाए। प्रोजैक्ट जो बना है वह इन लोगों द्वारा दी गई जमीन के कारण बना है और ये लोग बर्बाद हुए हैं। ऐसे में इन लोगों की मदद का रास्ता निकालने के लिए तीन महीने के

अन्दर-अन्दर यह कमेटी रिपोर्ट सरकार को दे और रिपोर्ट देने के बाद इसके समाधान के लिए क्या रास्ता निकल सकता है? उस रास्ते को निकालने की कोशिश करेंगे।

20.08.2019/1150/डी0टी0/डी0सी0/1

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय ,मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और मेरा सुझाव है कि जो संबंधित विधायक है या दूसरे जो प्रतिनिधि हैं उनको भी इस कमेटी में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय,यह जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है इस पर विचार किया जाएगा ।

<u>प्रश्न संख्याः 1169</u>

श्री इन्द्र सिंह (बल्ह) :माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि जो मेरा रिवालसर का बस स्टैंड है उसका कार्य कई वर्षों से लम्बित पड़ा है। इसका कार्य किन कारणों से लम्बित पड़ा है और इसके विलंब के क्या कारण हैं ? मैं चाहता हूं कि इस बस स्टैंड को जल्दी-से जल्दी बनाया जाए ताकि जो लोग पर्यटन की दृष्टि से यहां आते है उनको सुविधा मिले। रिवालसर तीन धर्मों का एक धार्मिक स्थल भी है। वहां पर बसे खड़ी करने में असुविधा न हो इसके बारे में मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य ने उचित कहा है कि रिवालसर एक बहुत ही अच्छा धार्मिक व पर्यटन केन्द्र है। यहां पर बस अड्डे का निर्माण करने के लिए 04-08-2018 को संयुक्त जांच हो चुकी है जिसके लिए 4 बीघा 13 बिस्वा और 19 विस्वांसी भूमि का चयन कर लिया गया है। यहां पर लोक निर्माण विभाग ,पशु पालन विभाग और एग्रीकल्चर विभाग का कब्जा है और इन विभागों से एन0 ओ0सी0 लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने पत्राचार भी किया है । अब वहां से एन0 ओ0सी0 प्राप्त होते ही

जमीन जैसे ही बस अड्डा अथॉरटी के नाम होती है तो हम इस काम को तुरंत शुरू कर देंगे। इस बस अड्डे के निर्माण के लिए 52 लाख रूपये का बजट का प्रावधान भी रखा गया है। भूमि स्थानान्तरण होते ही इसका तुरंत निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

इन्द्र सिंह (बल्ह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि संबंधित विभाग द्वारा कब तक भूमि का चयन कर लिया जाएगा और कब तक इस बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि भूमि सलैक्ट कर ली गई है।

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि का चयन हो गया है लेकिन हमने एन.ओ.सी. के लिए पत्राचार किया है, हमने कहा है कि भूमि ट्रास्फर का जो भी प्रोसीजर है इसको जल्दी से जल्दी करें और उसमें लोक निर्माण विभाग पशु पालन और एग्रीकल्चर विभाग जल्द से जल्द आपनी एन0 ओ0सी0 दे ताकि यह कार्य जल्दी शुरू हो सके।

20-08-2019/1155/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्याः1171

श्री हीरा लालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि करसोग विधान सभा क्षेत्र में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का पद भरा गया है परन्तु वास्तव में उनका डैप्यूटेशन पालमपुर के लिए कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी से जानना चहता हूं कि आप उनका डैप्यूटेशन कब तक रद्द करेंगे ताकि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का पद वास्तव में करसोग विधान सभा क्षेत्र में भरा जा सके।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने सूचना जाननी चाही है कि ऐसे कितने पद हैं? मैं बताना चाहता हूं कि करसोग विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पशु पालन विभाग में कुल 100 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 80 पद भरे हुए हैं और 20 पद खाली पड़े हैं। विभाग द्वारा इन 20 पदों को भी भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा रही है। माननीय सदस्य का कहना है कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का पद भरा गया

है और उन्हें पालमपुर डेप्यूटेशन पर भेज दिया गया है। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें कुछ समय के लिए ही एक विशेष कार्य और कुछ प्रोजैक्टस बनाने के लिए वहां भेजा गया है। **मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जैसे ही उनका कार्य पूरा हो जाएगा तो उन्हें करसोग में वापिस उसी पद पर भेज देंगे।**

प्रश्न संख्याः1172

Sh. Hoshyar Singh (Dehra) : Speaker Sir, as per the reply 234 पोस्टें खाली पड़ी है, इसे कब तक भरा जाएगा ? Dehra is one of the biggest division for two constituencies Jawalamukhi & Dehra. 90 लाख की Administrative approval की फाइल 2015 से पैंडिंग है और देहरा डिवीजन की बिल्डिंग इस वक्त बहुत ही दयनीय हालत में है और वह किसी भी वक्त गिर सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी कब तक Administrative approval दिया जाएगा और इसमें कब तक बजट का प्रावधान किया जाएगा? देहरा डिवीजन में कुल 21 गाड़ियों/मशीनों में से 11 खराब पड़ी हैं और देहरा डिवीजन जोकि एक बड़ा डिवीजन है उसमें केवल 9 गाडियां/मशीनें ही चल रही है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन्हें कब तक fulfill किया जाएगा और कब तक नई मशीने दी जाऐंगी?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय यह बहुत विस्तृत प्रश्न है। इसमें डिटेल देखी जाए तो अधिकांश पद, जो फंक्शनल पद हैं, वहां पर भरे हुए हैं। इसके बावजूद **अन्य** पदों की जो रिक्तियां है उसके लिए हम माननीय सदस्य को सुनिश्चित करेंगे कि समय-समय पर होने वाली भर्तियों में से इनके डिवीजन में भी रिक्त पदों को भरा जाएगा। In HPPWD, Division Dehra, 234 posts of different categories are lying vacant. इसमें कटेगरी वाइज़ बहुत लम्बी डिटेल है और इसमें बहुत वक्त लगेगा। यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो हम इन्हें वह सूची भी दे देंगे। मैं यहां कहना चाहूंगा कि समय-समय पर पदों को भरने की प्रकिया चली हुई है। Requisition of fill up 13 posts of Junior Draughtsman has been submitted to the Ex-Servicemen Cell Hamirpur on dated 29th March,

2018. Further 43 posts of Junior Draftsman are to be filled up by promotion from the feeder category and process for the same is in progress and accordingly vacant posts in Dehra Division will be filled up early.

20/08/2019/1200/RG/HK/1

(कांग्रेस पार्टी के विधायक एवं कम्युनिस्ट पार्टी(मार्कसिस्ट) के विधायक श्री राकेश सिंघा वैल में बैठकर नारेबाजी करते रहे।)

At present, no Junior Draftsman fulfill requisite criteria of 12 years service so prescribed in the relevant R&P Rules for the promotion to the post of Draughtsman. However matter for granting one time relaxation is under consideration. इस प्रकार से जो प्रक्रिया हमने शुरू की है, उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी फंक्शनल पोस्ट्स अधिकांश भरी हैं।

यदि हम पार्ट 'बी' में जाते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग के डिवीजन की बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता है और वह अच्छी हालत में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि initially the proposal for extension of building of Executive Engineer, HPPWD Dehra Office with provision of additional one room for Executive Engineer and Drawing Branch was sanctioned on 30th March, 2012 and Administrative approval & Estimate sanction of Rs. 32.85 Lakh was accorded. The work was awarded to the Contractor by the Executive Engineer on dated 17th October, 2013 for Rs. 4081198. लेकिन पहले प्रस्ताव यही था कि उसको थोड़ा बना दें, लेकिन बाद में उसके लिए एक प्रस्ताव उसको और ज्यादा बड़ा बनाने का आया। उस सन्दर्भ में अभी की परिस्थिति के अनुसार यह है कि अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड में यह नहीं आया है कि उस बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि इनको लगता है कि उसको बनाना है तो मैं एक बार फिर से रिपोर्ट मांगता हूं और रिपोर्ट मांगने के बाद जो उचित लगेगा, उस पर हम निर्णय कर लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं हालांकि उसमें बीच में एक बार दुबारा भी 25-10-2015 को revised estimate was prepared amounting to

Rs. 246.55 Lakh. तो वह भी सबमिट किया गया है। ऐसी परिस्थिति में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर वहां जरूरत है तो उसको हम जरूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, तीसरा 'सी' पार्ट है तो हमने सचमुच में देखा कि काफी सारी मशीनरी वहां बहुत पुरानी है और मैं यह देख रहा हूं कि यह 1969, 1979 एवं 1987 तक की इतनी पुरानी मशीनरी भी है और जो बताया गया कि 21 में से 10 मशीनें वर्किंग कंडीशन में हैं और 11 वर्किंग कंडीशन में तो हैं, लेकिन उनमें बहुत हैवी रिपेयर की आवश्यकता है। इसलिए मैं यह जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में फेज्ड मैनर में पुरानी मशीनरी को हम रिपलेस करेंगे और वहां नई मशीनरी देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आजकल के इस दौर में ज्यादातर काम टैण्डर्ज के माध्यम से ठेकेदारों को दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास मशीनरी होती है। लेकिन फिर भी जो जरूरत के मुताबिक वहां आवश्यकता होगी, उसको फेज्ड मैनर में करने के बारे में हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।

(कांग्रेस पार्टी के विधायक एवं कम्युनिस्ट पार्टी(मार्कसिस्ट) के विधायक श्री राकेश सिंघा नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पार्ट 'डी' के बारे में भी मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने पहले बता दिया कि 21 में से 10 मशीनें वर्किंग कंडीशन में हैं और 11 की स्थिति बहुत ठीक नहीं है और आने वाले समय में फेज्ड मैनर में जहां आवश्यकता होगी, उसके मुताबिक वहां मशीनरी उपलब्ध हो ताकि उस डिवीजन का काम सुचारू रूप से चल सके।

प्रश्नकाल समाप्त

20/08/2019/1205/MS/YK/1

कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगी।

शहरी विकास मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो कि इस प्रकार हैंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः आयुर्वेद-ए0(3)2/2017 दिनांक 02.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.08.2018 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः आयुर्वेद-ए0(3)20/99 दिनांक 11.02.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.02.2019 को प्रकाशित ।

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्षः अब माननीय श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20), समिति का 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति

के 66वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुख रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं जो कि इस प्रकार हैः-

i. समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत "मुख्य मन्त्री बाल उद्धार योजना" से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का 15वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत "समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम तथा समेकित बाल संरक्षण योजना" की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब माननीय श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बलबीर सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2019-20) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं जो कि इस प्रकार हैः-

i. समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है; और

ii. समिति का 13वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 40वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब माननी श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री हीरा लालः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2019-20), समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

<u>नियम समिति का प्रतिवेदन</u>

अध्यक्षः अब माननीय श्री हंस राज, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, नियम समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

उपाध्यक्ष (श्री हंस राज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति, (वर्ष 2019-20) (तेरहवीं विधान सभा): नियम समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः(अनुपस्थित)

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के निर्णय बारे वक्तव्य देंगे।

मुख्य मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष जी, आजाद भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ और उसके ऊपर बोलने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की जनता की ओर से जो सहयोग तथा समर्थन मिला और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, उसके लिए मैं इस माननीय सदन की ओर से और हिमाचल प्रदेश विधान सभा की ओर से उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, भारत सन् 1947 को आजाद हुआ और आजाद होने से पहले पूरे देश में लगभग 562 रियासतें थीं। आजादी के बाद सबसे कठिन काम यह था कि इन रियासतों को एक भारत के रूप में हम कैसे देखें। रियासतों के राजाओं के उस वक्त अलग-अलग मत थे। उनमें से कुछ भारत में विलय होना चाहते थे, कुछ विलय नहीं होना चाहते थे और कुछ भारत में विलय कुछ शर्तों के साथ होना चाहते थे। उस वक्त आजादी के बाद जब केन्द्र में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की सरकार बनी और वे इस देश के प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री के नाते, जिनको हम लौह पुरुष भी कहते हैं,

सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस वक्त के गृह मंत्री थे, उनको यह काम सौंपा गया, यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि पूरे देश की सभी रियासतों का एकीकरण करना है और सभी रियासतों को देश में मिलाना है । देश में मिला कर भारत का स्वरूप इस प्रकार से बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक इस कार्य को किया। अध्यक्ष महोदय, यह भी इतिहास का हिस्सा है जिसको

हमें स्वीकार करना चाहिए। जब पूरे देश की सभी रियासतों को भारत में मिलाने का काम उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपा गया था, उस वक्त यह बात भी पंडित जवाहर लाल नेहरु जी द्वारा कही गई कि जम्मू-कश्मीर का मसला मैं स्वयं देख लूंगा, क्योंकि मैं जम्मू-कश्मीर का रहने वाला हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 562 रियासतों में से 561 रियासतें भारत का हिस्सा बनीं। उस वक्त हैदराबाद के निज़ाम और उसके साथ-साथ और भी दूसरी रियासतें, जो भारत के साथ मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं, पाकिस्तान ने उस वक्त उनको वहां पर पूरा संरक्षण देने के लिए अपनी ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया लेकिन उसके बावजूद हमारे उस वक्त के गृह मंत्री ने दूरदर्शिता दिखाते हुए सफलतापूर्वक उन रियासतों को भी भारत में मिलने के लिए विवश किया, मज़बूर किया और वे भारत का हिस्सा बनीं। आज के इतिहास में यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक रियासत जम्मू-कश्मीर का काम जो उस वक्त पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जिम्मे छोड़ा था और उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं वहां का रहने वाला हूं, इस काम को मैं खुद देख लेता हूं और वही एक जम्मू-कश्मीर की रियासत उस वक्त महाराजा हरि सिंह के साथ कई तरह की चर्चा करने के बाद उसका समाधान सही प्रकार से नहीं हो पाया और समाधान न होने की वजह से उनको एक स्पैशल दर्ज़ा दिया गया, धारा-370 संविधान का हिस्सा बनाया गया और उसके अनुसार जम्मू-कश्मीर को एक अलग से भारत का राज्य तो बनाया लेकिन एक अलग स्टेटस के साथ उनको मान्यता दी गई। अध्यक्ष महोदय, यही सबसे बड़ी वज़ह है। उसी दिन से जम्मू-कश्मीर, की समस्या का समाधान करने में कठिनाई आई, क्योंकि कश्मीर के लोग अपने आप में महसूस करने लगे किहम धारा-370 के अन्तर्गत आते हैं। भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगा तो हम भारत से अलग हैं। यह सोच उनके दिमाग में पनपती गई और आज किस रुप में वह कश्मीर की समस्या आजाद भारत के 70 वर्षों के बावजूद भी विकराल रूप में हमारे सामने खड़ी हो कर हमारे लिए कितनी चुनौतियां पैदा कर रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 1951 में जनसंघ की स्थापना होने के पश्चात, जनसंघ की एक स्पष्ट मान्यता थी कि जब देश एक हो गया, भारत स्वतंत्र हो

गया, राष्ट्र एक हो गया तो देश के सभी राज्यों को एक समान दर्जा मिलना चाहिए। उस वक्त यह प्रोविज़न था कि जम्मू-कश्मीर में अगर बाहर के किसी आदमी को जाना होता था तो उसको परमिट लेना पड़ता था। परमिट के माध्यम से उसे आगे जाने का रास्ता मिलता था। परमिट का अभिप्राय था कि जैसे हम आजकल विदेश जाते हैं और वहां जाने के लिए हमें वीज़ा लेना पड़ता है, लगभग उसी परिस्थिति में उस परमिट सिस्टम का एक प्रावधान वहां पर जोड़ दिया गया था लेकिन डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जनसंघ के पहले संस्थापक थे, उन्होंने कहा कि जब पूरा देश एक हो गया, देश में जितने भी राज्य हैं और भारत के साथ रियासतों का विलय हो गया, ऐसी परिस्थिति में जहां दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है तो जम्मू-कश्मीर में भी इस परमिट की व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए क्योंकि वह भारत का हिस्सा है, भारत का प्रदेश है और जब इस बात को लोक सभा के अन्दर, राज्य सभा के अन्दर स्वीकार नहीं किया गया तो

20.08.2019/1215/SS-AG/1

डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के अध्यक्ष के नाते कहा कि हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर की सीमा में प्रवेश करेंगे। आंदोलन आगे बढ़ता है और पठानकोट के पास लखनपुर पहुंचता है। लखनपुर के पुल के बाद जम्मू-कश्मीर की सीमा लगती है और डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी हज़ारों समर्थकों के साथ जम्मू-कश्मीर की सीमा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे वहां पर प्रवेश करते हैं तो जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने उनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि तुम बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर की सीमा में प्रवेश हुए हैं। उसके बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे कश्मीर में रखा गया। अध्यक्ष महोदय, कुछ अरसे के बाद परिस्थिति यह हो गई जो आज तक हमारे लिये सोचने का विषय है कि जम्मू-कश्मीर की सलाखों के पीछे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। उनको किस प्रकार की यातनाएं दी गईं और अंततोगत्वा वहां पर उनकी शहादत हो जाती है। शहादत होने के बाद पूरे देश भर में एक वातावरण/माहौल खड़ा हुआ और विवश होकर उस परमिट को समाप्त करना पड़ा। इसलिए उस वक्त से हम एक नारे को बोलते हैं कि "जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वह सारे-का-सारा है।" लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार लम्बे समय तक केन्द्र में सत्ता में रही। यह स्पेशल स्टेट्स जम्मू-कश्मीर को दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में धारा-370 का अभिप्राय क्या था? अभिप्राय यह था कि

धारा-370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर का विधान और निशान अलग होगा। जम्मू-कश्मीर का अलग से झंडा था। उसके साथ-साथ हमारा नारा था कि एक देश में एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए। लेकिन जम्मू-कश्मीर में अगर आप सचिवालय की बिल्डिंग के सामने जायेंगे तो वहां धारा-370 की वजह से एक तिरंगा झंडा लगा हुआ है और उसके समानांतर जम्मू-कश्मीर का अपना अलग से झंडा लगा हुआ है। जम्मू-कश्मीर का मंत्री गाड़ी के एक तरफ तिरंगा झंडा लगाता था और उसी गाड़ी के बोनट के दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर का झंडा लगता था। बहुत विचित्र परिस्थिति लगती थी। आपका आई0पी0सी0 (इंडियन पीनल कोड) जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होता था। वहां पर रणबीर पैनल कोड लागू होता था जब तक वहां पर धारा-370 थी। भारत की संसद कोई भी कानून पास करे लेकिन वह तब तक जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था जब तक वहां की विधान सभा उसको प्रदेश में लागू न करे। यहां पर जितने भी केन्द्र से प्रस्ताव या बिल पारित होते हैं वे स्वतः ही पूरे देश भर में लागू हो जाते हैं। लेकिन वे जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते थे। संसद में आर0टी0ई ऐक्ट पास हुआ, वह पूरे देश भर में लागू हुआ लेकिन जम्मू-कश्मीर में आज तक लागू नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। अध्यक्ष महोदय, धारा-370 की वजह से जम्मू-कश्मीर के लोगों को जिस भावना से देश के साथ जोड़ना था, उसमें सबसे बड़ी बाधा धारा-370 थी। वह उनको अलग से एक फिलिंग देती थी कि तुम भारत से अलग हो क्योंकि वहां पर भारत का संविधान लागू नहीं होता है। उस रूप में लागू नहीं होता है जिस रूप में बाकी प्रदेशों में लागू होता है। इसलिए कई अरसे से हम सोच-विचार कर रहे थे कि यह धारा-370 समाप्त होनी चाहिए। पूरा देश इस बात को लेकर काफी हद तक सहमत था लेकिन उसके बावजूद इस काम को करना कठिन था। अंदेशा था कि अगर धारा-370 समाप्त कर देंगे तो आंदोलन हो जायेगा। धारा-370 समाप्त हो जायेगी तो बहुत विचित्र परिस्थिति पैदा हो जायेगी। लेकिन मैं अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने तय किया कि यह काम कठिन ज़रूर है लेकिन इसे करके दिखाना है और उन्होंने करके दिखाया। आज़ाद भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि देश को एक करने के लिए यह एक बहुत बड़ा निर्णय है। आज कश्मीर से लेकर कन्या-कुमारी तक भारत एक हो गया। एक निशान, एक विधान और एक प्रधान हो गया।

20.08.2019/1220/केएस/एजी/1

मैं इस सदन के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से तथा सरकार की ओर से केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने यह साहस जुटाया और सरकार के 70 दिन के कार्यकाल में धारा 370 को समाप्त कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है। बहुत सारे लोग हमारे दल की विचारधारा से सहमत नहीं हैं लेकिन उन्होंने भी कहा कि यह निर्णय उचित हुआ है। यह आजाद भारत के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। यह निर्णय लेने में 70 साल लग गए लेकिन यह निर्णय लेना बहुत आवश्यक था। ऐसी परिस्थिति में यह जो निर्णय लिया गया है, इसका हम अभिनन्नदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसके लिए मैं देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देता हूं और मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मैं जम्मू-कश्मीर में चार वर्ष रहा हूं इसलिए मैंने वहां पर बहुत सी चीज़ों को काफी नज़दीकी से देखा है। जम्मू-कश्मीर में अगर कोई कश्मीर की बेटी पाकिस्तान में शादी कर ले और पाकिस्तान में जिस लड़के के साथ उसकी शादी होगी, उस लड़के को जम्मू-कश्मीर की नागरिकता स्वतः ही देने का प्रावधान धारा 370 में है लेकिन वह बेटी अगर भारत के किसी भी राज्य में शादी करें तो उस बेटी की ही वहां से नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऐसी अनेक बातें हैं। विधान सभा का कार्यकाल पूरे देश में पांच वर्ष के लिए है लेकिन जम्मू-कश्मीर में 6 वर्ष है। सबसे बड़ी चीज़ उसमें यह थी कि धारा 370 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां कश्मीर के लोगों को यह संदेश देती थी, जो उनके दिलो-दिमाग में बैठ गया था कि हम भारत से अलग हैं क्योंकि यहां धारा 370 है। हमारे संविधान में अलग से व्यवस्था है, इंडियन पैनल कोड में हमारे लिए अलग से व्यवस्था है, हमारे यहां पर कानून तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक यहां की विधान सभा लागू न करें तो इसलिए यह करना बहुत जरूरी था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्टेटमैंट को पढ़कर सुनाता हूंः-

"मैं भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35-A को समाप्त करने के ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करता हूं। राष्ट्र के सर्वोच्च हित में लिए गए इस

ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बधाई के पात्र हैं। हमारे महान नेता व जनसंघ के संस्थापक डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद- 370 खत्म करने का सपना देखा था तथा वर्ष 1952 में जम्मू की एक विशाल रैली में संकल्प लिया था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगें। अब कश्मीर से कन्या कुमारी तक एक निशान, एक संविधान लागू हो गया और डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान देश की एकता और अखण्डता बनाए रखने में काम आया है। अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में अब एक ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा और तिरंगे का अपमान करना अपराध होगा जो कि धारा-370 के हटने के बाद सम्भव हो रहा है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का अपना ध्वज भी फहराया जाता था। जम्मू-कश्मीर में अब भारतीय इंडियन पीनल कोड लागू होगा। इससे पहले जम्मू-कश्मीर में रणवीर दंड संहिता लागू थी, जो अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को ही यहां वोट का अधिकार था। दूसरे राज्यों के लोग यहां न तो वोट दे सकते थे और न ही चुनाव लड़ सकते थे। अब देश का कोई भी नागरिक यहां मतदाता या चुनाव उम्मीदवार बन सकेगा।

लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त होने से वहां के लोगों की लम्बे समय से की जा रही मांग पूरी हो गई जिससे वहां विकास की गति तेज होगी और लोगों को विकास व रोज़गार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इस ऐतिहासिक निर्णय से न केवल देश के अखंडता मज़बूत हुई है बल्कि वर्षों तक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे जम्मू-कश्मीर राज्य में सही मायनों में शांति स्थापित होगी। समावेशी विकास सुनिश्चित होगा और वहां की जनता के लिए खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे।"

20.8.2019/1225/av/dc/1

अब बदली हुई व्यवस्था में आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। नये उद्योग स्थापित होंगे और युवाओं को रोज़गार के पर्याप्त अवसर भी मिल सकेंगे। घाटी में पर्यटन की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। अनुच्छेद 370 तथा 35 ए0 खत्म होने से जम्मू-कश्मीर में

महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा होगी। जम्मू-कश्मीर की महिलाएं यदि राज्य से बाहर के व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो उनका सम्पत्ति का अधिकार खत्म हो जाता था। उनके बच्चे भी स्थाई निवासी को प्राप्त अधिकारों से वंचित रह जाते थे। अब महिलाओं पर से यह पाबंदी हटेगी और उनके बच्चों को भी यह नागरिकता मिल सकेगी। विभाजन के बाद जम्मू-कश्मीर आकर बसे लोगों को वर्षों से राज्य में रहने के बावजूद राज्य के स्थाई निवासी का दर्ज़ा नहीं मिल पाया था। करीब 70 साल पहले सफाई के काम के लिए लाए गए दलित समुदाय के लोगों को केवल सफाई करने की ही नौकरी मिल पाती थी और उन्हें स्थाई निवासी का प्रमाणपत्र भी कभी नहीं दिया गया। अब उनके साथ भेदभाव समाप्त होगा। भाजपा हमेशा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने पर अडिग रही है और उसके हर घोषणा पत्र में यह संकल्प रहा है। इस बार भी यह संकल्प लिया था और उसे पूरा करके दिखाया है। मैं 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 व 35 ए0 को समाप्त करने के ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करता हूं। यह एक दुर्भाग्य था कि अनुच्छेद 370 जो कि एक अस्थाई प्रावधान था; को हटाने के लिए लगभग 7 दशक का समय लग गया। किसी भी देश में दो ध्वज, दो प्रधान तथा दो विधान कभी भी मान्य नहीं हो सकते थे। यही कारण था कि डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध करते हुए देश की एकता व अखण्डता बनाये रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। देश की एकता व अखण्डता बनाये रखने के लिए अनुच्छेद 370 व 35 ए0 का समाप्त होना नितांत अनिवार्य था। इसकी समाप्ति के साथ ही जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को उनके पूरे अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अब जम्मू-कश्मीर में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, समुदाय तथा लिंगानुसार कोई भेदभाव नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का भाल है, भारत की अस्मिता है, वह भारत का प्राण है और इसके बिना भारतवर्ष अधूरा है। इतिहास की ओर नज़र घुमाएं तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि कश्मीर प्राचीनकाल से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। यहां पर अनेक संस्कृत रचनाओं का निर्माण हुआ था। आदिगुरू शंकराचार्य जी ने यहां भारतीय वेद संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्ष 1947 के बाद यहां के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों को अनेकों अत्याचार

सहने पड़े और अन्ततः उन्हें अपनी जन्म भूमि को छोड़ना पड़ा। जम्मू-कश्मीर पर अक्रांताओं का अधिकार हो गया। कश्मीर के मूल निवासी आज भी न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि इन लोगों को न्याय मिलेगा और वे अपनी भूमि पर वापिस लौटकर सुख पूर्ण जीवन बिता सकेंगे। जम्मू-कश्मीर में तीन रीज़न्स हैं जिसमें लद्दाख, कश्मीर और जम्मू आते हैं। हम कभी जब जम्मू-कश्मीर जाते थे तो हमने अनुभव किया कि इन तीनों रीज़न्स में लोगों का आपस में किसी भी बात को लेकर कोई सामंजस्य नहीं है। लद्दाख की भौगोलिक परिस्थिति,भाषा और जीवन न तो जम्मू से मिलता है और न ही कश्मीर से मिलता है। इसी तरह कश्मीर की भाषा और कल्चर जम्मू के साथ नहीं मिलती है। वहां इस प्रकार की बहुत ज्यादा विषमताएं थीं और मैं समझता हूं कि लद्दाख के लोगों की वर्षों से मांग थी कि उन्हें युनियन टैरिटरी चाहिए। उनकी उस मांग को पूरा किया गया और उस मांग को पूरा करने के साथ-साथ लद्दाख आज आन्नद व खुशी मना रहा है। लद्दाख में एक त्योहार होता है उसको पूरे जश्न के साथ मनाया जा रहा है।

20/08/2019/1230/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

मैंने यह भी देखा है कि लद्दाख से लोक सभा में जो सांसद चुनकर गये हैं, उन्होंने लोक सभा के अंदर अपनी बात खुलकर कही और इस निर्णय का स्वागत एवं अभिनन्दन किया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि यह स्थायी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने लोक सभा और राज्य सभा के अंदर एक बात को बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि जब जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो जाएंगे तो उसे पूर्ण राज्य का दर्ज़ा भी दिया जाएगा। लेकिन आज वहां पर जो परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए यही निर्णय करना उचित था। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में यह जो निर्णय लिया गया है, यह स्वागत योग्य है। हम इसका स्वागत एवं अभिनन्दन करते हैं और इस ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत-बहुत बधाई देते हैं। इस निर्णय से पूरे देश में बहुत-सारे

राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यह एक बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन कुछ लोग अभी तक इसकी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि यह मोदी जी ने किया है, इसलिए अध्ययन किए बिना, यह कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं हो सकता। इस प्रकार की उनको हमेशा आशंका रहती है। उनको इस दायरे से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे इससे बाहर निकलेंगे। मैं देख रहा हूं कि अब भारत सही मायने में एक हुआ है और जम्मू-कश्मीर के लोगों के मन में जो एक भावना थी कि हम देश से अलग है, हमें अलग होकर चलना चाहिए। अब वह भावना भी देश के साथ मिलकर एक हो गई है। इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे और जैसे ही जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, उसके बाद वहां पर पूरे देश से कोई भी जा सकता है, रह सकता है और वहां पर बस सकता है। ऐसी परिस्थिति धारा-370 हटाने के पश्चात हुई है। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री व केन्द्रीय गृह मंत्री जीको इसके लिए बधाई देता हूं, वहीं इस निर्णय का अभिनन्दन करते हुए इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः क्या माननीय मुख्य मंत्री जी लिखित व़क्तव्य को सभापटल पर उपस्थापित भी करना चाहेंगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो व़क्तव्य यहां पर पढ़ा है, मैं इसको सभापटल पर उपस्थापित भी करता हूं।

अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी द्वारा व़क्तव्य दिया जाना है जिसे 21 अगस्त, 2019 के लिए पोस्टपोन किया गया है। ये कल अपना व़क्तव्य प्रस्तुत करेंगे।

नियम-130 के अंतर्गत अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा चाही हैः-

श्री जगत सिंह नेगीः अनुपस्थित

श्री अनिरूद्ध सिंहः अनुपस्थित

श्री राम लाल ठाकुर : अनुपस्थित

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अनुपस्थित

श्री राकेश सिंघाः अनुपस्थित

कर्नल इन्द्र सिंह जी चर्चा को प्रस्तुत करेंगे और श्री राजिन्द्र सिंह जी भी इसमें भाग ले सकेंगे। लेकिन यह ख़ेद का विषय हैं कि जिन माननीय सदस्यों ने बहुत-बहुत आग्रह करके मुझसे यह चर्चा लगवाई है, वे माननीय सदस्य आज इस सदन में नहीं है। जबकि यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं।

20/08/2019/1230/टी0सी0वी0/डी0सी0/3

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि यह चर्चा जिन माननीय सदस्यों ने लगवाई थी, वे सदन में अनुपस्थित हैं। मैं इसी विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक घटना ऊना में घटित हुई, जिसमें माननीय विधायक जी कहीं बीच में नहीं है, सिर्फ उनके स्टॉफ के मैंबर शामिल हैं। किसी भी विधायक के स्टॉफ/परिवार या किसी और व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना या झगड़ा हो सकता है।

20-08-2019/1235/NS/HK/1

लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस विधायक दल आपके चैंबर में आया और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इनके पास गए थे। इन्होंने अपने तथ्य माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे और इन तथ्यों के आधार पर सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े हृदय के साथ कहा कि हम सारी घटना की सही जांच करवाएंगे। सबको न्याय मिलेगा और दूध का दूध और पानी का

पानी होगा। आई0जी0 की अध्यक्षता में इन्वेस्टिगेशन/ तफ्दीश की जाएगी। अगर यह इनको मान्य नहीं है तब भी यहां तक ऑफर दी गई कि डिवीज़नल कमीश्नर की अध्यक्षता में इन्कवायरी की जाएगी। लेकिन कांग्रेस विधायक दल एक ही बात पर अड़ा है कि वहां पर एस0पी0 को सस्पैंड करो। जबकि यह शराब का केस है। इसमें इन्होंने इंटरफेयर किया, मारपीट की। जब मारपीट करेंगे तो धारा 147 व 148 लगना स्वाभाविक है। जब इस प्रकार की धाराएं लगेंगी तो गिरफ्तारी भी होगी और पुलिस रिमांड भी होगा। वे पुलिस रिमांड में रहे और कोर्ट ने उनको ज़मानत दी है। यह सारी घटना घटने के बाद पूरे इंसिडेंट पर एक विचार इन्होंने दिया है और इस पर एक पुलिस का वर्शन आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर इन्कवायरी घोषित कर दी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं मान रहे हैं। आज माननीय सदन में चर्चा के लिए इतना महत्वपूर्ण विषय लगा हुआ है। आज सारा हिमाचल प्रदेश बाढ़ की चपेट में है और लगभग 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कल शिमला में पार्किंग के विषय पर विपक्ष के दो माननीय सदस्यों ने चर्चा मांगी थी और इन्होंने इस चर्चा को छोड़ दिया। आज हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण बहुत क्षति हुई है, सड़कें बंद है और सेब का सीजन चला हुआ है तथा इतना नुकसान हो रहा है। ये लोग इस नुकसान और जिनकी मृत्यु हुई है उनका भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। लेकिन एक पी0एस0ओ0 और पी0ए0 के साथ किसी शराब बेचने वाले व्यक्ति की मदद करते हैं और झगड़ा करते हैं तथा केस बन जाता है। इसको ले करके सदन चलाने की बजाए हंगामा कर रहे हैं और बहिर्गमन करके जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत निंदनीय है। माननीय सदन में इतनी सारी सूचनाएं एकत्रित हो करके क्वैश्चन के रूप में आती है और इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं ये लोग स्वयं मांगते हैं तथा फिर भी इस चर्चा से उठ करके बाहर चले जाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह बहुत निंदनीय है तथा इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मैं कांग्रेस विधायक दल से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जनता के हित में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चलाया जाता है और आप इसे चलाने में सहयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनको इन्कवायरी का इतना बड़ा ऑफर दिया गया है। इतना बड़ा ऑफर देने के बाद भी ये इस बात से इन्कार कर रहे हैं और बहिर्गमन कर रहे है तथा सदन को चलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह बहुत निंदनीय है। हम उनसे पुनः निवेदन करते हैं कि वे इस बात को मान करके माननीय सदन की कार्यवाही को चलाएं। हम चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके

हिमाचल प्रदेश में आज बाढ़ के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके बारे में चर्चा करें ताकि हम इस समस्या का समाधान करने में सफल हो सकें। मेरा कांग्रेस विधायक दल से निवेदन है कि वे पुन: इस पर विचार करें और माननीय सदन में आएं तथा चर्चा में भाग लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपना वक्तव्य दें।

मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को बने हुए लगभग पौने दो वर्ष का समय हो गया है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हमने साबित किया है कि हमने एक भी काम बदले की भावना के साथ नहीं किया गया है। एक भी कार्रवाई बदले की भावना से नहीं की गई है।

20.08.2019/1240/RKS/HK-1

मुझे नहीं लगता कि पिछले पौने दो साल के कार्यकाल में ऐसा कोई मामला उजागर हुआ होगा जिसमें सरकार की मंशा जाहिर हुई हो कि इसको प्रताड़ित करना है। हम राजनैतिक द्वेष की भावना से कोई काम नहीं करते। हां, कुछेक मामले ऐसे होते हैं जहां कानून अपना काम करता है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मित्र इन सब चीजों को समझने में असमर्थ हैं। वे हमारी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें जनता ने चुनकर काम करने के लिए भेजा है। यही हमारा मकसद होना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। जिस विषय को लेकर वे अड़े हुए हैं, उस विषय पर शाम को चर्चा हुई है। मैंने उन्हें कहा कि रिपोर्ट में पुलिस का पक्ष मेरे सामने आया है और अब आपका पक्ष भी मेरे सामने आ गया। पुलिस की रिपोर्ट और आप द्वारा कही हुई बात में क्या रास्ता निकल सकता है, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब आपने आग्रह किया कि विपक्ष के सभी साथी यहां बैठे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं तो उस समय मैं प्रश्न काल के लिए ब्रीफिंग कर रहा था। मैं इस कार्य को छोड़कर विस्तार से बात करने के लिए आपके पास पहुंचा। मैंने

अपनी ओर से प्रस्ताव किया कि हम इस प्रकार से रास्ता निकाल सकते हैं और मैं समझता हूं कि इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता। उन्हें लग रहा था कि एस.पी. जांच प्रभावित कर सकता है। मैंने उन्हें कहा कि जांच में एस.पी. का रोल समाप्त कर दिया जाएगा और उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। जब हम आई.जी. लैवल के माध्यम से जांच आगे बढ़ा रहे हैं, केस ट्रांसफर करके सी.आई.डी. को दे रहे हैं तो उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने यह भी कहा कि 15 दिन के बाद जो रिपोर्ट आएगी यदि उस रिपोर्ट में एस.पी. दोषी पाया गया तो उस एस.पी. की न केवल ट्रांसफर की जाएगी बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? एस.पी. को सस्पैंड करो, उसकी ट्रांसफर करो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा। माफिया के लोगों का हमसे और विधायक से कोई लेना-देना नहीं है। उनका हौसला बुलंद हो जाएगा कि गलत काम करने के बावजूद भी जिस अधिकारी ने हमारे ऊपर कार्रवाई की थी उस अधिकारी को हमने सस्पैंड करवा दिया। इस तरह जो एक मुहिम शराब माफिया, खनन माफिया के खिलाफ चलाई जा रही है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ऐसी परिस्थिति में मैंने उनको कहा कि एस.पी. की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होगी और सी.आई. डी. वाले स्वतंत्र रूप से इस विषय की जांच करेंगे। लेकिन वे इस बात पर अड़े रहे और मुझे सचमुच इस बात का बहुत दुःख हो रहा है। वे हमसे ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं और उनके समय ऐसे कितने इंसिडैंट हुए, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। माननीय महेन्द्र सिंह जी एक इंसिडैंट का जिक्र कर रहे थे और मेरे विपक्ष के साथियों को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन हम बदले की भावना से काम नहीं करते। हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि ड्रग्स, शराब माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे उनको संरक्षण मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में बरसात से हुए नुकसान के ऊपर चर्चा की जानी है। बरसात के कारण कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोगों के घर तबाह हो गए, कितनी सड़कें टूट गई और सड़कें टूटने के कारण कितने बागवान बेहाल हो गए, इस

पर चर्चा की जानी चाहिए थी लेकिन विपक्ष के साथी इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। उनके लिए विधायक का प्रिविलेज महत्वपूर्ण हो गया। मैं मानता हूं कि विधायक का प्रिविलेज है परंतु उसके परिवार के लोगों के लिए वह प्रिविलेज उस रूप में नहीं हैं जिस रूप में वह विधायक के लिए होता है। जो कर्मचारी वर्ग हैं उनके लिए तो प्रिविलेज बिल्कुल भी नहीं है और इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। पी.एस.ओ. को अरैस्ट कर दिया, पी.एस.ओ. के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, ऐसा प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है।

20.08.2019/1245/बी0एस0/वाई0के0-1

जब मैं प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष था उस वक्त मेरे पी0एस0ओ0 के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद जो कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी वह हुई, तो क्या मैं उसे अपना प्रेस्टिज इश्यू बना दूं। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि इन चीजों को जिस तरह से अनावश्यक रूप से जोड़ने की कोशिश की जा रही है वह सही नहीं है। विपक्ष के अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि जो वे स्वयं कर रहे हैं वह ठीक नहीं कर रहे हैं। हमने जो यहां से व्यवस्था दी है, इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन अड़ कर रहना, लड़ कर रहना यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। मैं फिर से विपक्ष के साथियों से अग्रह करूंगा कि उनके सहयोग से यह सदन चलना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब पक्ष और विपक्ष आपने-सामने होता है। हम अपनी बात कहें और वे अपनी बात कहें। उसके बाद प्रदेश के विकास का रास्ता आगे बढ़े। उसके लिए हम सबको मिल करके कार्य करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि विपक्ष अपने इस निर्णय पर फिर से विचार करें। माननीय सदन का समय बहुत बहुमूल्य होता है और विपक्ष इस माननीय सदन में उपस्थित नहीं है। मैंने यहां कहा कि विधायक के लिए जो प्रिविलेज हैं वह विधायक के परिवार के लिए उस रूप में नहीं है। जो कर्मचारी विधायक महोदय के सहयोगार्थ हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को बड़ा स्पष्ट होने की आवश्यकता है। इन चीजों को विपक्ष जिस तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहा है वह

अनावश्यक बातें हैं। मैं विपक्ष से फिर आग्रह करूंगा कि वे अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। मानसून सत्र में अबकी बार हमारे पास 11 बैठकें हैं और उसमें से दो दिन इस प्रकार से विपक्ष ने गंवा दिए हैं। सत्र के दौरान प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब किसी माननीय सदस्य को अपने क्षेत्र से संबंधित या प्रदेश के विकास कार्यों की जानकारी चाहिए होती है तो इससे बढ़कर कोई प्लेटफार्म नहीं होता। इन सारी चीजों को वे भली-भांति समझते हैं।

अध्यक्ष : माननीय ठाकुर महेन्द्र सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बात को बीच में इसलिए रोक दिया गया था ताकि माहौल को शांत कर दिया जाए, यदि आप अपनी बात को पूरा करना चाहें तो अवश्य पूरा कर सकते हैं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने प्रयास किया कि थोड़ा-बहुत जो बवाल सदन में उठा है उसे जैसे-तैसे शांत किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी का भी कल से यह प्रयास है और आज भी इस संबंध में प्रयास हुए हैं। यदि समाधान निकल पाता तो यह अच्छा होता। मैं अपने मित्रों को याद दिला रहा था, आज जो मसला विपक्ष ने उठाया है यह मसला एक पी0एस0ओ0 का है। यह किसी विधायक के साथ किसी प्रकार की हाथापाई नहीं हुई, कोई गाली-गलौच नही हुई है, कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी है। मैं माननीय सदन को मेरे साथ घटी घटना के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा वह घटना याद रहेगी। वे दो दिन मुझे हमेशा के लिए याद रहेंगे। दिनांक 21 व 22 दिसम्बर की बात है, माननीय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। उनका मेरे चुनाव क्षेत्र में दो दिवसीय भ्रमण था। वहां पर जनसभा का आयोजन किया गया था। ऐसा भी नहीं था कि 10-15 लोगों का कार्यक्रम था। हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। मैं उस क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी का विधायक था और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। मैंने मुख्य मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया और कहा कि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूं। आप इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं परंतु आप हर दिन लोगों की समस्याओं को सुनने यहां नहीं आ सकते इसलिए मैं इस क्षेत्र की बात आपके

समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा इतना सा कहना था कि मुख्य मंत्री जी ने उसी वक्त एस0पी0 को आदेश दिए कि इन्हे अरेस्ट किया जाए। वहां पर जो कमांडोज सिविल ड्रैस में खड़े किए हुए थे उनके द्वारा मुझे उठाया गया और वहां पर जो मंच 8-9 फुट का बना था वहां से मुझे नीचे फैंका गया और नीचे फैंक करके जिस तरह किसी मृत बकरे को टांगों से पकड़ कर उठाते हैं उस तरह से उठाया गया। मुझे लात-घूंसे मार करके गाड़ी में डाला गया। इस प्रकार की प्रताड़ना उस वक्त एक विधायक के साथ हुई है। आज मेरे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र से सबसे नजदीक सरकाघाट का पुलिस स्टेशन था परंतु मुझे वहां नहीं ले जाया गया। वहां से जोगिन्द्रनगर पुलिस स्टेशन जो 60 किलोमीटर की दूरी पर है वहां ले जाया गया। वहां पर जेल में डाल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, रात के 11 बजे दो डी0एस0पीज0 मेरे पास आए और बोले कि आपको जमानत देनी है। मैंने उनसे कहा कि मुझे कहां जमानत मिलेगी? उन्होंने कहा कि आपको मण्डी ले जाना पड़ेगा, मैने उनसे पूछा कि वहां जमानत देने के लिए कौन बैठा हुआ है? उन्होंने कहा कि वहां पर ए0डी0एम0 बैठा है। मैने कहा मण्डी में ए0डी0एम0, एच0ए0एस0 अधिकारी बैठा है तो यहां पर भी एस0डी0एम0, एच0ए0एस0 अधिकारी बैठा है, यहां पर मुझे जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें सरकार के आदश हैं।

20.08.2019/1250/डी0टी0/वाई0के0/1

सरकार के आदेशों की अनुपालना करते हुए हम आपको हर हाल में मण्डी ले जाएंगे। मैंने कहा चलो मण्डी चलते हैं और फिर जब मण्डी पहुंचे तो मण्डी में जो पुलिस थाना है उस थाने में मुझे अंदर कर दिया गया और कहा गया कि आप रुकिए बाद में चलेंगे। वहां एक घंटा जेल में डालने के बाद फिर कहा गया कि अब चलते हैं। मैंने सोचा कि ए0डी0एम0 ओफिस की ओर जा रहे होंगे। माननीय अध्यक्ष जी जब गाड़ी मण्डी से सुन्दरनगर की तरफ चली तो मैंने चालक का हाथ पकड़ा और पूछा कहां ले जा रहे हैं? कहने लगे कि हमें आदेश है कि जब तक मुख्य मंत्री जी धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र से बाहर नही चले जाते तब तक हम आपको धर्मपुर नहीं जाने देगें। तब तक हम आपको

धर्मपुर क्षेत्र से बाहर ही रखेंगे और फिर 3:30 बजे गोहर के पुलिस स्टेशन की जेल में डाल दिया गया। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि क्या आप अपने कार्यकाल को भूल जाते है? आपके विधायक के साथ कुछ नही हुआ है, कोई छेड़खानी नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। जो भी मामला है वह पी0एस0ओ0 का है। उस वक्त वहां पर विधायक मौजूद नही था। इतना कुछ होने के बवजूद मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या जब महेन्द्र सिंह के साथ यह घटना घटी तो महेन्द्र सिंह इस सदन का सदस्य नहीं था, क्या उस वक्त जिस एस0पी0 ने एक विधायक पर हाथ डाला था उसको सस्पैंड किया था ? क्या उस वक्त की सरकार और मुख्य मंत्री ने विधान सभा के अंदर आ करके माफी मांगी ? मेरे मामले में न ही माफी मांगी गई और न ही एस0पी0 को सस्पैंड किया गया था। प्रशासनिक दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाया गया था। ये लोग अपने कार्यकाल को भूल जाते है और आज एक ऐसा बवाल खड़ा करना चाहते है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बवाल इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों की लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है और इस लोकसभा चुनाव में जो करारी हार हुई है उस हार को ये पचा नहीं पा रहे है। उस करारी हार को छुपाने के लिए पूरे प्रदेश में और विषेश कर समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदेश को एक सन्देश देना चाहते है कि हम विपक्ष में कितने मजबूत हैं। यह बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। इस माननीय सदन का एक-एक मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और विशेष करके जब मानसून सत्र चल रहा हो और प्रश्नकाल चल रहा हो तो विपक्ष की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह प्रश्नकाल होने दें। आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे कह सकते हैं परंतु प्रश्न काल को बाधित करना बहुत ही निंदनीय है। मैं उन मित्रों से जरूर कहना चाहूंगा, उनके बीच में अनुभवी सदस्य भी बैठे हुए हैं, उनके बीच वे भी बैठे हैं जो छह-छह बार के मुख्य मंत्री अपने आप को कहलाते हैं। मैं उन छह बार के मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इन लोगों को समझाएं कि आप क्या करने जा रहे है। आपके समय में क्या होता था? हमारे समय में तो कुछ हुआ ही नहीं है। एस0पी0 वहां पर नही था, एस0 पी0 ने कुछ किया ही नहीं है। यह मामला शराब पकड़ने का है।

अगर शराब न पकड़ी जाए और शराब माफिया को ना पकड़ा जाए तो मैं इनसे जानना चाहता हूं फिर आप क्या चाहते हैं ? आप किस प्रकार का प्रशासन हिमाचल प्रदेश में चाहते है? क्या आप शराब माफिया को बढ़ावा देना चाहते है? क्या आप खनन माफिया को बढा़वा देना चाहते है? क्या आप ड्रग्ज माफिया को बढ़ावा देना चाहते है? यह घोर निंदनीय है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि आपके सामने हम दो विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको जो विकल्प ठीक लगता है उस पर काम करिए। परंतु विपक्ष का कहना है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, एस0 पी0 को सस्पैंड करो । हमारे समय में एस0पी0, डी0सी0 सब को आप खुद कहते थे कि इनको ऐसा कर दो वैसा कर दो। लेकिन यहां तो हुआ ही कुछ नही, कुछ न होने के बावजूद भी विपक्ष सदन से बहिर्गमन कर रहा है। यह बहुत निंदनीय है। इनको ऐसा नही करना चाहिए मुझे लगता है कि इनके बीच में लीडरशिप की लड़ाई है। इस लीडरशिप की लड़ाई में कुछ विपक्ष का नेता बनना चाहते हैं। विपक्ष के नेता को नीचा दिखाना चाहते है। यह इनका अपना मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम किस तरफ जा रहे है पीछे मुड़के भी देखो की जब तुम्हारी सत्ता थी, आपने किस प्रकार के कारनामें हिमाचल प्रदेश में किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन्द ।

20-08-2019/1255/ए.जी.-एन.जी./1

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराहन 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

20/08/2019/1400/RG/DC/1

(**दोपहर के भोजन के पश्चात सदन की बैठक** अपराह्न 2.00 बजे **पुनः आरम्भ हुई।**)

(कांग्रेस पार्टी के विधायक सदन में उपस्थित नहीं हुए। कम्युनिस्ट पार्टी(मार्कसिस्ट) के विधायक श्री राकेश सिंघा सदन में उपस्थित थे।)

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अन्तर्गत कर्नल इन्द्र सिंह जी अपना विषय यहां प्रस्तुत करेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंह(सरकाघाट) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से नियम-130 के तहत जो प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया गया है, उसका टैक्स्ट पढ़ता हूं जो इस प्रकार से है :- "प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे।"

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में वर्षा मॉनसून के मौसम में होती है और इस वर्षा का दो-अढ़ाई महीने का समय होता है। लेकिन इस पीरियड में यह ईवेनली डिस्ट्रीब्युटेड नहीं होती, कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है और कहीं बिल्कुल सूखा रह जाता है। जहां ज्यादा बारिश हो जाती है वहां बाढ़ का प्रकोप हो जाता है और जहां सूखा होता है वहां दूसरी प्रकार की अन्य परेशानियां आ जाती हैं।

20/08/2019/1405/MS/AG/1
कर्नल इन्द्र सिंह जारी---------

कहीं बादल फटने की घटनाएं होती हैं जिससे फ्लैश फ्लड आ जाते हैं और जिस एरिया से वह गुजरता है, वहां तबाही मच जाती है। अभी उत्तराखण्ड में भी ऐसा ही हुआ और कुल्लू-मनाली की बैल्ट में तो अक्सर ऐसा होता रहता है। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि यह सब ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से हो रहा है यानी जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है। वरना कभी ऐसा नहीं सुना था कि अगस्त माह में हिमाचल प्रदेश में इतनी भारी बर्फबारी हो। हम सब आजकल टी0वी0 और अख़बारों में देख रहे हैं कि इस वर्ष पूरे देश में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। आज भी देश का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। आसाम से लेकर बंगाल, बिहार, यू0पी0, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल यानी आप

किसी भी प्रदेश का इस बैल्ट में नाम ले लीजिए, सब बाढ़ की तबाही से प्रभावित हैं। इन राज्यों में इतनी बड़ी त्रासदी आई हुई है जिसका अन्दाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इन राज्यों में रेल मार्ग और सड़कें ही प्रभावित नहीं हुई हैं बल्कि एयर कनैक्टिविटी भी बाधित हुई है और इससे देश की इकॉनोमी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब धीरे-धीरे स्थिति सम्भल रही है लेकिन बाढ़ के बाद फिर बीमारियों का मुकाबला इन प्रदेशों को करना पड़ेगा।

अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा से भारी नुकसान हुआ है। अभी नुकसान की डिटेल्ज आ रही हैं लेकिन जो डिटेल्ज आई हैं उनके अनुसार तकरीबन 450 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ये डिटेल्ज लगातार अपडेट हो रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। वर्षा के कारण लोक निर्माण विभाग की तकरीबन हर सड़क प्रभावित हुई है यानी हर सड़क पर लैण्ड स्लाइड हुए हैं। हमारा हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है और यहां पहाड़ों की मिट्टी ढीली है इसलिए वर्षा के कारण सारी-की-सारी मिट्टी बह जाती है और साथ में सड़कों को भी बहा देती है। इससे लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इसका एक कारण यह भी है कि हमारी सड़कें अवैज्ञानिक तरीके से बनी हुई हैं। जो लिंक रोड गांव में बनते हैं, वहां जिस तरफ को पंचायत मुंह मोड़ लेती है उस तरफ से सड़कें बन जाती हैं। फिर वे चाहे ठीक ढंग से बनी हो या नहीं बनी हो, लेकिन बन जाती है। जब बरसात आती है तो फिर वहां लैण्ड स्लाइड होना शुरू हो जाता है जिससे बहुत नुकसान होता है। मुझे लगता है कि इस बारे में लोक निर्माण विभाग को कुछ सोचना चाहिए। जब भी कोई सड़क बनें तो कम-से-कम उस सड़क का ऑफिशियल सर्वे लोक निर्माण विभाग करे, उसके बाद वह सड़क बने। इससे उस सड़क का ग्रेड भी ठीक होगा और वह सड़क लैण्ड स्लाइड से भी बचेगी। सड़कों के अवरूद्ध होने की वजह से किसानों की जो फसल आनी है, वह बागीचों और खेतों में ही सड़ रही है। मैंने अभी माननीय कृषि मंत्री जी से पूछा कि ऊपर के क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है और ये बता रहे थे कि जितनी भी मटर, टमाटर और गोभी की फसल थी, वह सब भारी बर्फबारी के कारण खेतों में ही दब गई है और किसानों को वहां बहुत नुकसान हुआ है। हमारे यहां भी आई0पी0ए0 विभाग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि उनके पम्पिंग स्टेशन ही पानी के बीच में आ गए हैं और पाइपें भी लैण्ड स्लाइड के कारण टूट गई हैं। इसके अलावा सिंचाई का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित हुआ है।

अध्यक्ष जी, भारी वर्षा के कारण बिजली विभाग को भी नुकसान हुआ है। पेड़ गिरने के कारण खम्भे और तारें टूट गई हैं जिसको रिस्टोर करने में समय लगेगा। किसानों की फसलों की भारी तबाही हुई है, इससे निःसंदेह किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। सेब की उपज बाहर भेजनी है लेकिन सड़कें बाधित हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

इसलिए फसलें खेतों और बागीचों में ही सड़ रही हैं और इससे किसानों/बागवानों को बहुत नुकसान हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जैसे ही सरकारी तंत्र को सूचना मिलती थी, तत्काल रिलीफ मटीरियल प्रभावित तक पहुंचता था। निःसंदेह यह सरकारी तंत्र ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन बोर्ड भी सक्रिय रहा है।

उपाध्यक्ष जी, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। भारी वर्षा के कारण कई घरों में दरारें आ गई हैं और जब मौके पर पटवारी को ले जाते हैं तो पटवारी कहता है कि जब तक घर गिरेगा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा जबकि वह घर रहने के लिए असुरक्षित है।

20.08.2019/1410/जेके/एचके/1

लेकिन उनको कम्पनसैशन कोई नहीं मिलेगा, उनको मदद नहीं मिलेगी, फाइनैंशियल अस्सिटैंस नहीं मिलेगी, जब तक वह घर गिर नहीं जाता है। मैं कहता हूं कि इसमें सुधार की जरूरत है, जब घर अनसेफ हो गया तो फिर उसमें रहने का कोई मतलब नहीं है, वह चाहे गिरे या न गिरे लेकिन उनको वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, उसमें अमैंडमैंट की जरूरत है। अभी लैंड स्लाइड से पूरे-का-पूरा गांव प्रभावित हुआ है, वहां पर लोग खतरे में हैं लेकिन उनको वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी जब तक उस गांव में फिजिकल नुकसान न हो जाए, यानि वे घर गिर न जाएं। इसलिए जो हमारा स्वॉयल कंजर्वेशन डिपार्टमैंट है, उसको भी फ्री हैंड देना चाहिए कि जहां-जहां सख्त इमरजैंसी है वहां-वहां पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। जितना भी नुकसान हुआ है उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हमारा जो कम्पन्सैशन मैनुअल है, उसमें भी काफी अमैंडमैंट की जरुरत है क्योंकि

जितना पैसा उस मैनुअल के अनुसार मिलता है वह बहुत कम मिलता है, उसमें इम्प्रूवमैंट की जरुरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव नियम-62 के तहत दिया था वह विषय मैं अभी यहां पर लाना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक सीनियर सैकंडरी स्कूल गैहरा है, उसके दोनों तरफ पहाड़ियां हैं। वह एकदम घाटी में बना हुआ है। उसकी एक बिल्डिंग है, जिसमें 8 कमरे हैं। वर्ष 2016 में भी वहां पर उसके प्रांगण में लैंड स्लाइड हुआ था। उसमें हमने एस्टिमेट बनाया था तो वह कोई 48 लाख का था लेकिन पिछली सरकार ने उसमें कुछ नहीं दिया। हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने आते ही उसके लिए 18 लाख रुपये मंजूर किए। उसमें जो प्रोटैक्शन वॉल थी, वह आधी रह गई थी लेकिन अब फिर बहुत ज्यादा बारिश हो गई जिसकी वज़ह से उसमें दरारे पड़ गई और अब वह अनसेफ है। हमने स्कूल को खाली कर दिया है। वहां पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है जहां पर स्कूल को शिफ्ट किया जाए। हमें केवल 3 कमरे मिले हैं जहां पर हमने सारे स्कूल को शिफ्ट किया है। उस स्कूल में कोई डेढ़ सौ बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ में इसके नीचे 40 लाख रुपये में एक बिल्डिंग बन रही थी क्योंकि अब वहां पर ऊपर से स्लाइडिंग हुई है अगर ऊपर की बिल्डिंग गिर जाती है तो यह जो नई बिल्डिंग आधी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, वह भी खत्म हो जाएगी। मैंने लोक निर्माण विभाग को कहा है कि वे वहां पर जाएं क्योंकि आज वहां पर मौसम साफ है। वहां पर जा कर देखें कि क्या हम उस बिल्डिंग की रिपेयर कर सकते हैं, क्या उसको सेफ बना सकते है या नहीं बना सकते है? अगर बना सकते है तो उसका काम किया जाए और प्रोटैक्शन वॉल दी जाए ताकि दोनों बिल्डिंग्ज़ सेफ हो जाएं, नहीं तो हमें उस स्कूल को वहां से हटाना पड़ेगा और कोई दूसरी सेफ जगह देखनी पड़ेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी-से-जल्दी उस स्कूल को बचाने के लिए ध्यान दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा में माननीय विधायक, श्री राकेश पठानिया जी भाग लेंगे। माननीय सदस्य आप 10 मिनट में अपना वक्तव्य दें।

श्री राकेश पठानिया (नूरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे नियम-130 पर बोलने के लिए समय दिया। प्रदेश में भारी बरसात में हुए नुकसान पर यह सदन चर्चा कर रहा है। Himachal Pradesh has seen a disaster in the present rain fall and Col. Inder Singh Ji has rightly pointed out the amount of damage happened to this Pradesh. हम जिला कांगड़ा से आते हैं। जिस तरह से जिला कांगड़ा में तीन दिन तक लगातार बारिश हुई and the small Nullah turned into a huge river and caused havoc in the State as a result we have lost a huge amount of cultivated and fertile land. मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो जो पहला फ्लैश फ्लड आया है उसमें हमारे 100 से ऊपर जीवित कैटल्ज़ बह गए। लोगों ने खड्डों के किनारों में अपने पशु बांधे होते हैं and we have lost all of them in one flash flood. सुबह 6.30 बजे से सारा प्रशासन और मैं खुद सारे दिन फील्ड में रहा।

20.08.2019/1415/SS-HK/1

परन्तु ऑवरऑल मैं आज केवल अपने क्षेत्र की बात नहीं करूंगा बल्कि पूरे प्रदेश में बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके बारे में अपनी बात रखूंगा। आज हमें आज़ाद हुए 73 वर्ष हो गए हैं। ऐसे फ़्लडस हर साल आते हैं। कभी उसकी तीव्रता (velocity) बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। हम अपने आपको उसके लिए तैयार क्यों नहीं रखते? उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन में टूरिज्म पूर्ण रूप से प्रभावित है। आपके जो मेन टूरिज्म टाउनशिप्स हैं वे देश से कट चुके हैं। 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 580 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान इस प्रदेश का हो गया है। हमारे प्रदेश की माली हालत भी ठीक नहीं है। उस हालत के अंदर हमारा आज लगभग 600 करोड़ रुपया का लॉस हो गया है। अभी तो लॉसिज़ असैस होने हैं। They are still being assessed. अभी यह असैसमैंट आयेगी और पता नहीं कहां पर जाकर खड़ी होगी? And the real data would be shocking and fearing for this State. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विषय इस नियम में बोलने

का केवल एक ही है कि अब समय आ गया है कि we should be mentally, physically and financially prepared for this disaster. यह आपदा कभी भी आ सकती है, यह डिजास्टर कभी भी आ सकता है। हम अपनी खड्डों को चैनेलाइज करें। हम अपने छोटे-छोटे चैकडैम्ज़ लगाएं। पानी की तीव्रता को रोकें। अगर पानी की तीव्रता को पहले चैक किया गया तो इतना बड़ा डिजास्टर नहीं आता। जिस तरीके से खड्डों के ऊपर एनक्रोचमैंट हो रही है वह ठीक नहीं है। हमारा चामुण्डा देवी का मंदिर ही देख लीजिए। किसी ज़माने में वह खड्ड से कितना ऊपर होता था लेकिन आज पूरी खड्ड बीच में आ गई है। आज वहां मंदिर परिसर में पानी आ गया है। जिस तरीके से खड्डों की एनक्रोचमैंट हो रही है और लोग रैकलैसली खड्डों के पास सस्ती जमीनें लेकर घर बना रहे हैं, वह नुकसानदायक है। जब तक इस सदन में उसके लिए कोई सख्त लॉ इनैक्ट नहीं किया जायेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे ऑफैंडर को बहुत सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। ऐसे ऑफैंडर जो खड्डों में एनक्रोचमैंट करके घर बना लेते हैं, यही लोग मरते हैं, इन्हीं की प्रॉपर्टी जाती है और इसी की असैसमैंट आती है। आज जमीनों का लॉस अन-रिपेयरेबल है। आज लोगों के घर पैक ऑफ कार्डस की तरह कॉलैप्स हुए हैं। The roads are being damaged only because of poor quality and poor workmanship. जिन डंगों में कुछ लगा हुआ नहीं था, उन्होंने एक फ्लैश फ्लड को भी नहीं सहा। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री और सरकार से निवेदन रहेगा कि हमें इसके लिए अपने आपको तैयार रखना पड़ेगा और एक वैटर प्लान ड्रॉ करना पड़ेगा। यह एक युद्ध की स्थिति है। यह युद्ध इस प्रदेश के साथ कभी भी छिड़ सकता है and there is no end to disaster in the Pradesh; it may be in the shape of an earthquake or fire or it may be a flood. मैं कई सालों से देख रहा हूं कि हमारे स्कूलों/कॉलेजिज़ में डिजास्टर मैनेजमैंट की ड्रिल्ज़ लगती हैं। हमारा जिला प्रशासन ड्रिल्ज़ लेता है। परन्तु क्या हम इस ड्रिल को धरातल पर उतार पाये हैं? मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक खड्ड में ऊपर से पहाड़ गिरा और वह सारा-का-सारा पहाड़ खड्ड के बीच में आ गया। देखते-ही-देखते हमारे वहां पर एक-डेढ़ किलोमीटर लम्बी लेक खड़ी हो गई। आरम्भ में उसका पानी 70 से 80 फुट का था। खुदा न खास्ता if that blockage broken, at least five to seven villages would have been just washed off. परन्तु वहां पर एन0डी0आर0एफ0 ने बढ़िया काम किया। उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु अभी तक हम उसको रोक नहीं पाए हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत से इंसिडैंटस हैं जहां पर बहुत नुकसान हुआ है। मेरा आज आपके माध्यम से

सदन, सरकार और मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आईये हम अपने आपको इसके लिए तैयार करें। यह वॉर लाइक सिचुऐशन हमारे प्रदेश में न आए, इसके लिए हम अपनी तैयारी करें ताकि अगले साल अगर ऐसी आपदा आती है या डिजास्टर आता है तो we will be well prepared to fight with that disaster.

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी चर्चा में भाग लेंगे। उसके बाद श्री राजिन्द्र गर्ग जी अपनी बात रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं भी उसमें भाग लेने के लिए अपने आपको शामिल करता हूं। भारी बरसात के कारण पूरे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। आंकड़ों के मुताबिक आज तक लगभग 490 करोड़ रुपये का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। अनुमानतः 25 जानें जा चुकी हैं।

20.08.2019/1420/केएस/वाईके/1

फिर भी मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । इन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों से विडियो कॉंफ्रेंस की है तथा 15 करोड़ रुपया तुरंत राहत के तौर पर जारी कर दिया है, इसलिए मैं सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला चम्बा में पी.डब्ल्यू.डी. और एन.एच. का आज तक लगभग 55 करोड़ रुपये का नुक्सान हो गया है। आई.पी.एच. डिविज़न का पूरे चम्बा में 6 करोड़, इलैक्ट्रिसिटी में 2 करोड़, एजुकेशन की बिल्डिंग्ज़ गिरी हैं, उसका कम से कम 3 करोड़, होर्टिकल्चर और एग्रिकल्चर का 5 करोड़,फोरैस्ट का 3 करोड़ रुपये का पूरे चम्बा में नुकसान हो चुका है। इसके अलावा 84 पशु दब कर मर चुके हैं। तीन मौतें हो चुकी हैं जो कि तीनों भरमौर चुनाव क्षेत्र के हैं और 5 लोग जिला चम्बा में इन्जर्ड हैं। टोटल जिला चम्बा में 80 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। चम्बा में 161 घर डैमेज हो चुके हैं। नगदी

फसल जैसे भरमौर से सेब आता है, चुराह से मटर और सेब आता है, रोड़ बन्द होने के कारण जो हमारे उत्पादक हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ियां रास्ते में खड़ी हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। केवल मात्र ढाई दिनों में ही इतनी क्षति हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, भटियात विधान सभा क्षेत्र में 11 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है। 95 लाख रेवन्यू का है। हमारे यहां एक फिना सिंह नहर है जिसका मेरे छोटे भाई श्री राकेश पठानिया जी के एरिया को पानी जाएगा। उस प्रोजैक्ट का 28 करोड़ रुपये का आज तक नुकसान हो चुका है। उनकी कुछ मशीनें तथा बड़े-बड़े ट्राले पानी में बह गए हैं। 65 भेड़-बकरियां गोशाला के गिरने से दब कर मर गई हैं। भटियात में 23 घर गिर गए हैं। 22 काऊ शैड गिर गए हैं। भटियात चुनाव क्षेत्र में टोटल पशुओं का नुकसान 32 तक आंका गया है। आई.पी.एच. का भी काफी नुकसान हुआ है। रोड़ और कई पुल बह गए हैं जिनकी वजह से आज भी रास्ते बंद हैं। मेरे क्षेत्र में कम से कम 49 बीघा जमीन को नुकसान हुआ है। उपाध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी से भी और सदन के सहयोगियों से भी चाहूंगा कि इन आपदाओं से निपटने के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। जो नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है, उस क्षति को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को लिखा जाए ताकि हमारे प्रदेश को केन्द्र से भी राहत मिले और इस क्षति से हम उभर सकें। ज्यादा न बोलता हुआ, नियम 130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव यहां पर लाया गया है, मैं उसका पूर्णतया अनुमोदन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री राजिन्द्र गर्ग जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजिन्द्र गर्ग (घुमारवीं): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत जो चर्चा इस माननीय सदन में लाई गई है, वैसे मैंने नियम-62 के अंतर्गत इसी विषय को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर इस बरसात में भारी तबाही हुई है जिसके कारण सड़क, बिजली, पानी ये सारी चीजें प्रभावित हुई हैं

\

20.8.2019/1425/av/yk/1

और लोगों की जान-माल का नुकसान भी हुआ है जो कि एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। 17 व 18 अगस्त को जो बरसात हुई उससे हमारे घुमारवीं निर्वाचन क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हमारे घुमारवीं मुख्यालय के समीप करयालग गांव में एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ। हमें वहां के स्थानीय लोगों का सुबह-सुबह फोन आया कि यहां पर ऐसे-एसे सारी-की-सारी पहाड़ी दरक चुकी है और लोग बीच में फंस गये हैं तथा इसके कारण बहुत सारे मकान स्लाइड होकर दूर-दूर तक खिसक गये हैं। हम जैसे ही घटना स्थल की ओर बढ़े हमें फिर से फोन आया कि लोग जमीन दरकने से उसमें धंस सकते हैं इसलिए कुछ-न-कुछ कीजिए। मैंने तुरंत माननीय मुख्य मंत्री जी से फोन पर बात की कि हमारे यहां इस प्रकार की घटना घट रही है तो हो सकता है कि हमें हेलिकॉप्टर की जरूरत पड़े। मैं सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इन्होंने तुरंत कहा कि आप एक बार मौके पर जाकर देख लीजिए और अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हेलिकॉप्टर तैयार है। ऐसी स्थिति में जहां मुझे यह चिंता हो रही थी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस पहाड़ी में धंस रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे जो आश्वासन दिया उससे मेरा निश्चित रूप से मनोबल बढ़ा जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का इस सदन में आभार व्यक्त करता हूं। वह पहाड़ी चारों तरफ से यानी लगभग दो सौ बीघा जमीन पूरी-की-पूरी खिसक चुकी थी। हम भी वहां इधर-उधर के रास्तों से दो किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे। मगर तब तक गांव के लोगों, पुलिस व होम गार्ड के जवानों ने मिलकर वहां फंसे सारे लोगों को रस्सी के माध्यम से बाहर निकाल लिया था। इसके लिए मैं उन ग्रामीण बंधुओं को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं जिन्होंने इतनी मुश्किल स्थिति में 25 जानें बचा ली। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस भूस्खलन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर लगभग दो सौ बीघा से ज्यादा जमीन धंस गई है और उसके अंदर बने मकान लगभग आधा-आधा, एक-एक किलोमीटर आगे खिसक गये हैं। एक तो ऐसी स्थिति होती है कि मकान ढह जाते हैं और उसमें से कुछ सामान

निकाल लिया मगर वहां तो उन मकानों के परखचे ही उड़ गये हैं। चिड़िया जिस तरह से एक-एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है वहां पर लोगों ने भी थोड़ा-थोड़ा जोड़कर अपने-अपने मकान बनाये थे। लेकिन इस बरसात में वहां पर भूस्खलन के कारण वे पूरी तरह से तहस-नहस हो गये और उसमें लोगों की नकदी व गहने इत्यादि सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई। लोगों के हाथ कुछ भी सामान नहीं लगा और सारा-का-सारा सामान उस भूस्खलन में बह गया। वहां तीन-चार मवेशियों को तो निकाल लिया गया था मगर कुछ पशुओं का अभी तक पता नहीं है कि वह जीवित है या मृत मगर उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि करयालग के अंदर भूस्खलन की जो घटना घटी है वह बहुत ही असामान्य घटना है। वहां पर एक-एक किलोमीटर की दूरी तक मकान का खिसक जाना और कुछ पता ही न लगना एक बहुत बड़ी त्रासदी है इसलिए इसको सरकार के राहत प्रदान करने के सामान्य नियमों के तहत न आंकते हुए वहां कोई विशेष आकलन करके राहत प्रदान की जाए ताकि लोगों को कुछ सहायता मिल सके। वहां लोगों के मकान के साथ-साथ उनकी जमीन भी चली गई। अब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहां न तो मकान बन सकते हैं और न ही खेत बन सकते हैं। वहां सभी सात परिवारों के मकान एक-एक किलोमीटर तक आगे खिसककर तहस-नहस हो गये हैं। इसलिए इस सदन के माध्यम से मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उनके लिए विशेष नीति बनाकर या विशेष सहयोग करते हुए जो सामान्य नीति के तहत पुनर्वास हेतु जमीन दी जाती है उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाए।

20.08.2019/1430/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उनको सरकार की ओर से मकान बनाने के लिए 8-10 बिस्वा ज़मीन व विशेष सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाये। । मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जिस प्रकार प्रदेश की जनता की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसी तरह से हमारे यहां घुमारवीं में करयालग गांव में जो त्रासदी हुई है, उन लोगों के लिए भूमि व मकान बनाने के लिए विशेष सहायता प्रदान करेंगे। क्योंकि

उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, उन्होंने जो कुछ पहना था, वही कपड़े उनके पास बचे हैं। हमारा प्रशासन वहां पर प्रयासरत रहा और फौरी राहत के रूप में जो राहत दी जाती है, वह उनको दी गई है। लेकिन उनको हमारा जो सामान्य मैन्युअल है, उसकी सीमाओं को न मानते हुए, उसमें नया प्रावधान जोड़ते हुए जो असामान्य घटनाएं घटी है, उसके तहत उनको विशेष सहयोग दिया जाये। यह मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री परमजीत सिंह (दून): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया गया है, उस पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के अंदर भारी बरसात के कारण जो आपदा आई है, उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके कारण जानमाल, फसलों, सड़कों, बिजली व सिंचाई परियोजनाओं को भी नुकसान हुआ है। मेरा दून विधान सभा चुनाव क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर भी एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। एक मकान गिर गया, जिसमें चार लोग फंसे हुए थे। उनमें से बाप-बेटे की मृत्यु हो गई। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहले ही प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त कर रखा था। हमने उपायुक्त, सोलन को फोन किया, वहां से एन0डी0आर0एफ0 की टीम आई और उन्होंने दो लोगों को बचा लिया। लेकिन दो लोगों को नहीं बचा पाये। इसी प्रकार से बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक मजदूर बैठा हुआ था उसके ऊपर दीवार गिर जाने से उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह से बरसात के कारण तीन लोगों की जानें मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर गई है। बरसात के कारण जानमाल के अलावा जो दूसरा नुकसान हुआ है, वह भारी नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग के दो डिवीज़न मेरे चुनाव क्षेत्र में आते हैं। जिनमें से एक नालागढ़ और दूसरा कसौली डिवीज़न के अंतर्गत आता है। नालागढ़, आई0 एण्ड पी0एच0 डिवीज़न के अंतर्गत वॉटर सप्लाई की 30 स्कीमें प्रभावित हुई हैं जिनमें 1.2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

इसके अलावा सिंचाई की 18 स्कीमों में भी लगभग 65 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह से अर्की डिवीज़न के अंडर जो स्कीमें आती है, उनमें भी 70 लाख रुपये के करीब नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग के कसौली डिवीज़न के अंडर 2.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और नालागढ़ डिवीज़न में भी 2.0 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसी तरह से बिजली विभाग में 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान

20.08.2019/1430/टी0सी0वी0/ए0जी0/3

हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने विभागों को निर्देश दिये हैं कि बरसात से हुए नुकसान की भरपाई शीघ्रातिशीघ्र की जाये। इस बार भारी बरसात हुई लेकिन प्रशासन बड़ा चुस्त-दुरुस्त था जैसे ही रोड बंद हुए, प्रशासन वहां पर पहुंचा और रोडों को खोलने की पूरी कोशिश की गई और ज्यादातर रोड खुल भी चुके हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़कें लोक निर्माण विभाग के अधीन है, उनको खोलने हेतु तो विभाग प्रयासरत है। परन्तु जो सड़कें पचायतों ने एम0एल0 या एम0पी0 फण्ड से बनाई हैं, उन सड़कों की बहुत दुर्दशा है। लोगों की फसलें फंसी हुई हैं, वहां पर कोई पीकप या फोर व्हीलर गाड़ी नहीं जा रही है।

20-08-2019/1435/NS/AG/1

उनके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाए और यह देखा जाए कि किस फंड के माध्यम से इन सड़कों को खोला जा सकता है। इसके लिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा। क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें मैक्सिमम सड़कें बंद हो चुकी हैं। इनमें से अधिकतर सड़कें पंचायतों द्वारा निकाली गई हैं, चाहे वे 14वें वित्तायोग, सांसद निधि या विधायक निधि से निकाली गई हों। अब वहां के लोग पंचायत प्रधानों पर दबाव डाल रहे हैं और प्रधान हमें फोन कर रहे हैं। हमने इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि हमें इसके लिए कुछ-न-कुछ राहत दी जाए और जिलाधीश के माध्यम से पंचायतों को अलग से फंड दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी इंडस्ट्रीज़ के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ आएं। इसके लिए इन्वेस्टर मीट की जा रही है। इस समय मेरे क्षेत्र में लगभग 3000 इंडस्ट्रीज़ हैं और बरसात की वज़ह से उद्योपतियों का कम-से-कम लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अधिकतर उद्योगों में नदियों व नालों का पानी घुस गया है। इससे किसी का 25 करोड़ रुपये और किसी का 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो नदियां या नाले आते हैं उनकी चैनलाईजेशन की जाए। इंडस्ट्री वाले तभी वहां आएंगे अगर वे अपने आपको सुरक्षित समझेंगे। अधिकतर उद्योगों में बरसात ने बहुत भारी नुकसान किया है। उनके जानमाल का नुकसान भी हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर मेरे क्षेत्र में नदियों व नालों की चैनलाईजेशन की जाए तो यहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न बोलते हुए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने के लिए समय दिया।

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं "प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करें" इसमें अपने आपको शामिल करता हूं। ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अलग-अलग हिस्सों में नुकसान हुआ है और लोगों को दुःख पहुंचा है, उस दुःख के साथ मैं अपनी आवाज़ को शामिल करना चाहता हूं। जिससे उनका दुःखड़ा थोड़ा कम हो। सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि एटलिस्ट मेरी जिंदगी में मैंने इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होते नहीं देखा है। शायद अभी आंकड़े इकट्ठे नहीं हुए हैं, इसका एक कारण है। अदरवाईज़, यह ऑर्डिनरी नैचुरल केलामिटी नहीं है। यह नेचुरल डिजास्टर है। नैशनल केलामिटी के अंदर इसको लाना होगा। तभी मैं समझता हूं कि लोगों की पीड़ा, दुःखड़े और नुकसान की पूर्ति कर पाएंगे। अदरवाईज़, मैं नहीं समझता कि हम प्रदेश के साधनों से लोगों के दुःखड़े और नुकसान की पूर्ति कर पाएंगे। हालांकि, जब भी नैचुरल केलामिटी होती है, it is not possible कि हम कंपेंसेट करें। आज मुझे लगता है कि रिलीफ देना भी बहुत कठिन है। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। इसको मैं यहां पर कोट कर रहा हूं कि जब भी इस प्रकार के हादसे होते हैं तो किसी भी डेमोक्रेटिक सैटअप

में लोगों की इच्छा रहती है। इसलिए मैं इमरजैंसी रिलीफ मैन्युल की भावना को सदन में रख रहा हूं जिससे सरकार सेंसिटिव हो और इस सेंसिटिविटी को देखते लोगों के दुःखड़े को कम करने के लिए प्रयास करे। यह क्या है - at such critical time people look forward to the Government for some sort of help और यह स्वाभाविक है।

20.08.2019/1440/RKS/DC-1

आज हिमाचल के सभी क्षेत्रों के लोग सरकार से यह उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कुछ राहत मिले। यह राहत उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री का स्वभाव ऐसा है कि वे लोगों की पीड़ा को नहीं देख सकते और निश्चित रूप से जैसे भी साधन हैं, उन साधनों के माध्यम से राहत देने का प्रयत्न करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा में शामिल किया जाए और भारत सरकार से राहत देने की अपील की जाए ताकि पहाड़ के लोगों को सही मदद मिल सके। माननीय मुख्य मंत्री जी के केंद्र में काफी अच्छे संबंध है इसलिए आपको इस प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने कर्त्तव्य को निभाना चाहिए। दूसरा, जो हमने आपदा के लिए 15 प्वाइंट्स निश्चित किए हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है? इस प्राकृतिक आपदा में पाचं चीजें एक साथ हुई हैं। बाढ़ आई, लैंडस्लाइड्स हुए, जमीन धंसी, भारी वर्षा हुई और बादल भी फटे। आमतौर पर जब बाढ़ आती है तो बाढ़ ही आती है और जब भारी वर्षा होती है तो वह भारी वर्षा तक ही सीमित रहती है लेकिन यहां तो पांच-पांच चीजें एक साथ हुई। मैं इनको कोट नहीं करना चाहता हूं। इस बरसात में इतने दर्दनाक हादसे हुए जिनकी कल्पना मैं इस सदन के भीतर नहीं कर सकता। जब आदमी बेसहारा हो जाता है या जान चली जाती है तो उस समय जब कोई तिनका भर भी मदद करे तो उसे वह बड़ी मदद नज़र आती है। लेकिन मैं उस पहलू पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जो कर्नल साहब ने बातें कही हैं मैं उन पर भी कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। हमारा क्या दायित्व हो सकता है, हमारी क्या मदद हो सकती है और उस मदद को किस रूप में किया जा सकता है, उस पर मैं चंद शब्द कहना चाहता

हूं। आज बड़े पैमाने पर निजी भूमि का लोस हुआ है। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं ताकि सरकार का ध्यान उस तरफ जाए। निजी भूमि को संभालने का कोई प्रावधान नहीं है। पहले जब किसी की भूमि बह जाती थी तो उसे तबादला मिल जाता था लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। जो भूमि बह गई, खेत बह गए, बागीचे बह गए उसके बदले में क्या किया जाएगा? आपको ज़मीन के तबादले का नियम शामिल करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे आप भारत सरकार के पास जाएं या जो भी कानून में संशोधन करने की ज़रूरत है, उसे कीजिए। कानून में संशोधन करने के बाद ही भूमि के बदले भूमि दी जा सकती है। मौजूदा कानून के अंदर ज़मीन देने का कोई प्रावधान नहीं है। आज लोग पूरी तरह भूमिहीन हो गए हैं। उनकी ज़मीनें बह गई हैं और पेड़ों का कोई नामों-निशान नहीं है। आज हालत यह है कि वहां पर कोई सेब का बागीचा था इसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए सरकार को इस विषय पर सोच-विचार करके कानून में संशोधन करना चाहिए ताकि लोगों को ज़मीन के बदले ज़मीन दी जा सके। दूसरा, आपको स्पैशल गिरदावरी करनी होगी जिसका कानून में भी प्रावधान है। आपको यह आकलन लगाना होगा कि किन-किन फसलों का कितना-कितना नुकसान हुआ है। चाहे एग्रीकल्चर क्रॉप हो या होर्टिकल्चर कॉप, इन फसलों की स्पैशल गिरदावरी करने के लिए जिलाधीश को हिदायत देनी पड़ेगी और इसका कानून में भी प्रावधान है। लेकिन मैंने इस विषय पर सरकार को कोई हिदायत देते हुए नहीं देखा।

20.08.2019/1445/बी0एस0/डी0सी0-1

तीसरी बहुत जरूरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बारिश के कारण बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, उसके अन्य क्या कारण हैं? उसका यह कारण है कि सड़कों के किनारे जो पुराने वृक्ष हैं उनका गिरना भी एक कारण बना है। वन विभाग के पास अधिक कार्य नहीं है अतः उनकी felling करने की भी कृपा करें। जब अत्यधिक बारिश होती है और तेज तुफान आता है तो यही पेड़ डैथ ट्रैप बन जाते हैं। अगर इनकी कटाई होगी तो इनकी लकड़ी भी इस्तेमाल हो जाएगी। (घंटी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का

समय दे दीजिए, मैं अपनी बात को उसमें समाप्त कर दूंगा। यहां पर कुछ साथियों ने एक अन्य विषय का जिक्र किया है। मैं उस विषय में बहुत कलियर हूं। प्रदेश में जब आपकी सरकार आई थी तो आपने कहा था कि सौ करोड़ का प्रावधान सड़कों की ड्रेनेज बनाने के लिए रखेंगे। आज आप देख लीजिए, आप assess कर लीजिए। आप इस बारे में रिपोर्ट ले लीजिए, बारिश में अधिकतर सड़के वे गई हैं जिनमें ड्रैनेज नहीं थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह सौ करोड़ रुपये कहां इस्तेमाल किए हैं? मैं यह नहीं कहता कि इस्तेमाल नहीं हुए हैं । लेकिन मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी से उम्मीद करता हूं कि इसका दूध-का-दूध और पानी-का-पानी होना चाहिए। अगर वह पैसा कहीं इस्तेमाल हुआ है तो उसकी छान-बीन होनी चाहिए। । expect this minimum action from the Government. दूसरा कारण क्या है? हमारी जो पुलियां हैं वह बहुत छोटी है और वे लम्बे समय से बंद पड़ी हैं। अगर यह कार्य लोक निर्माण विभाग समय पर नहीं कर सकता तो इस विभाग का काम क्या है? इसलिए समय रहते यह काम करने की जरूरत है। मैं ठाकुर साहब को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जहां पर हमारे आई0पी0एच0 के पंप हाउसिज बह गए हैं या जो ट्रांसफार्मर बह गए हैं उसका कारण यह था कि ठेकेदारों ने पंप हाउसिज को बिल्कुल खड्ड के नजदीक स्थापित कर दिया था। आप उसमें एक सही अंतर रखिए। यदि इस तरह अच्छा कार्य होगा तो आने वाले समय में हम इन्हें बचा सकते हैं। इसी तरह ट्रांसफार्मर भी खड्डो से थोड़ी दूरी पर लगाने चाहिए। मैं अधिक न कहता हुआ उम्मीद करता हूं आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार से कि जिन बातों को ले करके मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उन पर अवश्य गौर किया जाएगा।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राकेश सिंघा : उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बात में कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो मकानों के नुकसान बारे यहां पर बात कही जा रही है वह मात्र अनुमान है अभी तो इस बारे में आंकड़े आने बाकी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो मनरेगा के तहत मकानों की मरम्मत के लिए 35 हजार रुपये का प्रावधान है। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है

कि उस राशि को आप अवश्य बढ़ा दें। मकानों की मरम्मत के लिए उस राशि को आप 50-60 हजार तक कर दीजिए ताकि जो मकान बुरी हालत में हैं उनकी मरम्मत हो सके। दूसरी बात है जहां पर मकानों को ज्यादा नुकसान हो गया है वहां पर आप टी0डी0 के लिए छूट दे दीजिए। यदि मुझसे अन्य बातें इस विषय में बोलने से रह गई हों तो मैं अवश्य माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखित रूप में उन्हें दे दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री सुभाष ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे, कृपया समय का विशेष ध्यान रखें।

श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 130 के अन्तर्गत भारी बारिश से हुए नुकसान पर जो चर्चा यहां पर हो रही है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि बरसात हर साल आती है और तबाही भी मचाती है। यह कुदरत का खेल है, यह न हमारे हाथ में और किसी अन्य के हाथ में है।

20.08.2019/1450/डी0टी/एच0 के0/-1

लेकिन मेरा यह कहना है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। मैं पिछले वर्ष का उदाहरण देना चाहूंगा जो पिछले साल नेशनल हाईवेज और लींक रोड अवरूद्ध थे उन्हें रिकॉर्ड समय में माननीय जय राम ठाकुर की सरकार ने खुलवा दिया जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। वर्षा के कारण इस वर्ष जो त्रासदी हुई है इससे जहां लोक निर्माण विभाग की सड़कें अवरूद्व हुई, आई0पी0 एच0 विभाग की मशीनरी बही, पंप हाऊस बहे, किसानों की गौ शालाएं बही तथा खेतों को भारी नुकसान हुआ है। हमारे गांव की जो छोटी-छोटी सड़के हैं वे वह बह गई और लोगों को अपने घरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा की बरसात तो हर साल होती रहेगी लेकिन क्या यह त्रासदी ऐसी ही होती रहेगी, इसके लिए हमे विचार करना चाहिए और धन का प्रावधान भी करना चाहिए। हम जब नुकसान का जायजा लेने के लिए

जाते हैं या अधिकारी जाते हैं तो संवेदना के अलावा कुछ नही कहते। लोग यह महसूस करते हैं कि मेरे साथ जो दुःखद घटना हुई है वह किसी के साथ न हो । लेकिन मैं इससे कैसे उभरुं यह भी जरूर सोचता है। प्रशासन और सरकार भी यही चाहते हैं कि हम उनकी सहायता कैसे करें लेकिन वे सहायता नहीं कर पाते। मेरा निवेदन है कि इसके लिए प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के माध्यम से धन का प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं अपने बिलासपुर जिला के बारे में कहना चाहूंगा। दिनांक 17 और 18 को जब वर्षा हुई तो मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 23 गौशालाएं गिर गई और 9 मकान क्षतिग्रस्त हुए। घुमारवीं के करियालग गांव में जो माननीय सदस्य गर्ग जी कह रहे थे वहां पर भयंकर तबाही मची है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इनके बारे में व उन लोगों की मदद के लिए निवेदन करना चाहूंगा । साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि बिलासपुर जिला में जो अली खड्ड, सीर खड्ड और भाखड़ा बांध या सतुलज नदी है, इसमें सितम्बर, 15 तक 1680 फुट पानी आता है जो आज ही 1680 तक पहुंच गया है। यह पानी डेंजर जोन में पहुंच गया है। अभी तक बरसात का एक महीना और है तथा इससे जो इरोजन हो रहा है उससे गांव की सड़कों, पानी के पनिहार को खतरा हो गया है और वहां पर इरोजन भी हो रहा है। अली खड्ड, सीर खड्ड से पीने-के-पानी की जितनी भी स्कीमें है उनमें किसी का पंप हाऊस डैमेज हुआ है और किसी की पाइपें चली गई हैं, किसी की मोटर चली गई है। मैं उसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले एक हफ्ते से लोगों को जहां पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा जिनता भी पीने का पानी इन स्कीम्ज के माध्यम से आ रहा है, उसका प्रबंध किया जाए। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोगों के मलकीयत रकबे हैं उन में भी नुकसान हुआ है लेकिन उसका हमारे मैन्यूअल में कोई प्रावधान नहीं है। जितने भी हमारे घर हैं या गौ शालाएं हैं इनमें ऊपर से इरोजन होकर जो मलबा गिर रहा है, जब इसके बारे में पटवारी को कहते हैं तो वह कहते हैं कि जब तक यह स्ट्रकचर गिरेगा नहीं तब तक हम कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते। अतः मेरा निवेदन है कि इसमें परिवर्तन किया जाए।

20-08-2019/1455/एच.के.-एन.जी./1

हमारा नैश्नल हाइवे जो चण्डीगढ़ से बिलासपुर की तरफ आता है और कुल्लु-मण्डी-मनाली तक जाता है। यह रोड़ हर वक्त बन्द रहता है जिससे सैलानियों को दिक्कत होती है। आज तो भारी वर्षा हुई, इस कारण यह बन्द हुआ लेकिन जब थोड़ी भी वर्षा होती है तब भी यह बन्द हो जाता है। इस रोड़ पर तीन सीमेंट प्लांट है, उनके ट्रक्स इस पर आवाजाही करते हैं। यदि इस रोड़ पर सायं 7.00 बजे के बाद आयें तो यह लगता है कि हम घर पहूंचेंगे की नहीं। इस रोड़ पर नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए। यह रोड़ हर समय - हर सीज़न - हर साल बाधित होता रहता है। मेरा आपके माध्यम से इस माननीय सदन से निवेदन है कि प्राथमिकता के तौर पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ध्यान दिए जाने की आवश्यक्ता है। अभी हाल ही में इस रोड़ पर दोनों तरफ से स्लाइडिंग हुई जिस कारण 200-250 लोग बीच में ही फंस गए। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार और मैने भी प्रशासन से बात की, उसके बाद बिलासपुर प्रशासन ने उन्हें बोट के माध्यम से बाहर निकाला और बिलासपुर में लाकर मैडिकल ऐड दी फिर उन्हें वापिस उनके स्थान तक पहूंचाया गया। माननीय सदन से मेरा निवेदन है कि इस त्रासदि के लिए और हर साल बरसात के मौसम में होने वाले नुकसान के लिए एक विशेष योजना-विशेष फण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की त्रासदि से निपटने के लिए हम लोगों की साहयता कर सकें। उपाध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द-जय हिमाचल।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

Shri Hoshyar Singh: Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this very serious issue of damages caused by recent heavy rainfall. Every year there is a huge damage caused by rain all over the State. The pattern of rainfall has been changed drastically in the State. Earlier once in five years, we heard about cloud burst. Now, 10 to 15 cloud bursts occurred every year and causing huge damages to the property and life. Due

to the fragile mountains, lot of land slides are taking place which also damaging the roads, vehicles, farms, tourism and common man as a whole. Last year there were three cloud bursts occurred in my constituency and in the Constituency of Shri Bikram Thakur Ji. In just 30 days, there was the highest rainfall recorded in Bharwai sector which caused huge damages in my constituency. Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I would like to bring it to the notice of this Hon'ble House through you that there are numbers of big khuds and nullahs in my Constituency. At present, 12 khuds in Dehra and Pragpur constituencies need immediate channelization. The water level of these khuds is so high that and it has become difficult for people and school going children to cross the khuds. People have to wait for 4 to 5 hours to get the level of water down to cross the khuds. Due to landslides, lot of houses are damaged. I appreciate the Hon'ble Chief Minister and his Cabinet team for the efforts they made last year. They presented the cases before the Central Government effectively and got the relief fund of Rs. 312 crores, which is one of the highest amount in the history of Himachal Pradesh.

20/08/2019/1500/RG/YK/1

This amount was distributed for the Departments like PWD, IPH, Agriculture, Soil Conservation etc. in two installments. But it is very sad to say that not even a single penny was being given to DCs, BDOs and to the Revenue Department and the Revenue Department was not able to give the assessment of the damages. As a result, the roads which were constructed with MP or MLA funds or by MGNREGA have been excluded and the maximum amount was given to PWD and IPH departments. My request to the Hon'ble Chief Minister is that the Revenue Department should assess the damages as on today and a report should be submitted to the Government regarding the damages. So, the relief amount is also given by Revenue Department because till today Revenue Department is unable to give any amount of damages which

is very high. Government should instruct all the DCs and BDOs to calculate the exact damages caused by heavy rain fall in the State and a report should be sent to the Central Government for providing relief fund. I think it is be the duty of the State Government to ensure that all the houses in State should be covered under insurance. हम अपना बीमा करवाते हैं, लेकिन कभी मकानों का बीमा नहीं करते, लोक निर्माण विभाग की सड़क बनती है लेकिन उसका कभी बीमा नहीं होता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की स्कीम बनती है लेकिन कभी उसका बीमा नहीं होता, if there is any natural calamity such as flood, heavy rainfall or fire etc. the Government's property should be insured for it. हम बीमा नहीं करते हैं तो हमें पैसा नहीं मिलता, insurance premium is a very minimum amount but damage is a very huge amount. तो मैं इस माननीय सदन में आग्रह करता हूं कि हर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, हर सड़क का, हर इन्सान का, हर मकान का बीमा होना जरूरी है और जब भी डैमेजिज होंगे तो हमें सेन्टर में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें इन्श्योरेन्स कम्पनी से इन्श्योरेन्स मिल सकता है। The State Government should deploy Life Saving Boats, Rescue Boats in all the rivers and dams which can help us to save the life in time. सड़क बन्द हो जाती हैं तो सिर्फ एक ही मार्ग, पानी का मार्ग खुला होता है। इसलिए वहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जिससे कि हम कम-से-कम संभव समय में वहां पहुंचे, State Government should also deploy a Special Task Force which consists of experts, who know about mountain calamity. प्लेन ग्रॉउन्ड की कैलेमिटी अलग किस्म की है और पहाड़ों की कैलेमिटी अलग किस्म की है, so there should be a special team who should know about the mountain calamity, clearance of road in the hills, restoration of medical facilities, making temporary bridges at the shortest possible time etc. and this team should be available at all the time. The Government should vacate all the unsafe houses immediately, और उसके लिए, जिस तरह हमारे मुख्य मंत्री जी ने भवनों के लिए 30-30 लाख रुपये दिए थे, तो उन भवनों को राहत शिविरों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या हर चुनाव क्षेत्र में राहत शिविर बनाए जाएं, जहां किसी भी घर की क्षति के मामले में 15 से 20 परिवार वहां रुक

सकते हैं। उनको वहां उन राहत शिविरों में रखा जा सकता है। तो इस तरह के भवन बनाना बहुत आवश्यक एवं बहुत जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बारिश से पहले इन्होंने मीटिंग कन्डैक्ट की और सभी डी.सीज. को आदेश दिए थे कि इस बारिश में वे अपनी तैयारी रखें and ordered them to be fully prepared. Accordingly, all the SDMs have worked very well in their divisions. I highly appreciate the Government for taking this bold step and advance initiatives to tackle all the calamities. Deputy Speaker, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak.

उपाध्यक्ष : अब श्रीमती कमलेश कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती कमलेश कुमारी(भोरंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान के बारे में जो यहां चर्चा की जा रही है, उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करती हूं।

20/08/2019/1505/MS/YK/1

माननीय उपाध्यक्ष जी, देश और प्रदेश में भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है और लोगों को क्षति पहुंची है, उसमें मेरा यह कहना है कि अगर हम यह माने कि यह एक वर्ष की बात है तो ऐसा नहीं है। हर वर्ष ऐसा होता है और यह कुदरत की देन है। इसके लिए हम चाहे कितनी भी तैयारी कर लें लेकिन फिर भी पता नहीं चलता कि आने वाले समय में किस रूप में कौन सी आपदा आ जाएगी।

मैं वर्ष 2014 की बात करना चाहूंगी। उस समय हमारे भोरंज क्षेत्र में इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि चम्बोह से जाहू तक खड्ड के किनारे बसे कुछ लोगों के मकान तक बह गए। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चम्बोह, बधानी और हमारा प्राथमिक विद्यालय बजडौह था, उसको भी नुकसान पहुंचा था। हमारी छौंछ खड्ड के साथ लगते नगरोटा और बडैहर स्कूल थे, उनको भी नुकसान पहुंचा। जाहू तक यह जो भोरंज का विधान सभा क्षेत्र है, इसे चारों तरफ से छौंछ खड्ड, सीर खड्ड या हमारी जो कुनाह खड्ड है, इन्होंने घेरा हुआ है। वर्ष 2014 में जो त्रासदी हुई, अगर मैं उसकी बात इस सदन में रखूं, तो उस समय जान-माल का बहुत नुकसान हुआ था और कई लोग उस त्रासदी में बह गए थे बल्कि यहां तक हुआ कि

कई परिवारों को अंतिम दर्शन करने के लिए अपने परिजनों की डैड-बॉडिज तक नहीं मिल पाईं। जो उस समय त्रासदी हुई उसके लिए पिछली सरकार ने उस क्षेत्र के लिए एक भी पैसा नहीं दिया। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि जैसे ही हमारी सरकार बनी तो डी0पी0आर0 में जो थोड़ी बहुत कमी थी, उसको पूरा करके डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में उस छौंछ खड्ड के चैनेलाइजेशन के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया और उसका शिलान्यास भी किया। मैं विभाग के मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूं। इसके साथ ही अभी भी कुछ ऐसे स्पॉट बचे हैं जिनमें हमारा एक चोहाग गांव है। उसके निवासी आज की तारीख में भी अपने घरों से सामान निकाल कर दूसरे घरों में रखते हैं क्योंकि उनको यह चिन्ता लगी रहती है कि अगर रात के समय वर्षा होती है तो पता नहीं हमारे घर कहां बह जाएंगे। इसी तरह से बरसात के मौसम में चाहे पेयजल स्कीमों की बात करें, बिजली की स्कीमों की बात करें या सड़कों की बात करें, सबको भारी नुकसान हुआ है।

हमारी जो कुनाह खड्ड है उसके किनारे एक बगवाड़ा गांव पड़ता है और उस गांव के साथ एक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चम्बोह है। वहां के बच्चों ने अगर स्कूल जाना हो तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे खड्ड के ज्यादा पानी की वजह से 10-10 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते हैं और सड़कों का इतना बुरा हाल हो गया है कि वे नाले बन गई हैं। इसी के साथ और भी अनेकों ऐसी समस्यायें हैं जैसे लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा पशुशालायें गिर गई हैं। इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों को क्षति पहुंची है और जिनके मकान/गौशालायें गिरी हैं या कोई अन्य घटना घटी है, उनके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए।

20.08.2019/1510/जेके/एजी/1

इतना ही नहीं जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां आज की तारीख में पैदल चलना मुश्किल है। हमारा जो निहार और चम्बोह गांव है, वहां से बच्चों को स्कूल जाना होता है । अभी वहां पर बच्चों के टूर्नामैंट थे लेकिन बारिश का मौसम था तो बच्चे स्कूल नहीं आ सके। चम्बोह ब्रिज की डी0पी0आर0 बन गई है और नाबार्ड को भेजी गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि आने वाले समय में उस ब्रिज के लिए बजट का प्रावधान किया जाए ताकि आने-जाने के लिए लोगों की समस्या का समाधान हो सके। जो प्रस्ताव यहां पर

प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान बारे लाया गया है, उसमें भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया गया, उसके लिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करती हूं। जय हिन्द।

उपाध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में चर्चा हुई, उस पर ज़वाब देने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक पहाड़ी प्रदेश होने तथा हिमालय के नजदीक होने के नाते हमारी परिस्थितियां बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ही अलग तरह की हैं। यहां का जीवन कठिन है। जिंदगी चढ़ते-उतरते ही संघर्ष में निकल जाती है। हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है लेकिन उसके बावजूद यह बात भी सत्य है कि प्रकृति हमसे लेती भी बहुत कुछ है। खासतौर से जब हम हिमाचल प्रदेश में काम की , विकास की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश तेज़ गति से आगे बढ़ें।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जब बरसात का मौसम आता है तो वह तबाही करके चले जाता है । हम उस तबाही से निपटने के बाद थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं तो दूसरा सर्दी का मौसम आ जाता है और बर्फ पड़ जाती है और सर्दी के मौसम में भी हमें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इस कारण जो पूरे साल हम बना कर तैयार करते हैं, वह तबाह हो कर साथ-साथ जाता भी रहता है। मैं, माननीय सदस्यों की चिन्ता से वाकिफ़ हूं। जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित, प्रदेश से सम्बन्धित नुकसान पर चिन्ता जाहिर की है। कर्नल इन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र गर्ग, श्री परमजीत सिंह पम्मी,श्री राकेश सिंघा, श्री सुभाष ठाकुर, श्रीमती कमलेश कुमारी और श्री होशयार सिंह जी ने अपनी-अपनी बात कही लेकिन अच्छा होता, क्योंकि यह प्रस्ताव मूल रूप से विपक्ष की ओर से भी

दिया गया था। इस माननीय सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं हो पाई । वे सौ बातों पर विरोध करें क्योंकि बहुत सी बातों में यह सम्भव नहीं हो पाता कि हम दोनों पक्ष सहमत हों लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पर उनको इस माननीय सदन में अपनी तरफ से अपने क्षेत्र में

20.08.2019/1515/SS-AG/1

और अपने क्षेत्र के अलावा प्रदेश में जो भारी नुकसान हुआ है ऐसी घड़ी में उनको सदन नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या यह विषय उस विषय से भी छोटा है? प्रदेश में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। सैंकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन क्या हम हमेशा अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए इस प्रकार का माहौल यहां पर खड़ा करते रहेंगे? यह मुझे थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा है। वैसे भी हमारे मित्रों का आजकल हाल खराब है। यहां तो बाढ़ के कारण नुकसान हो गया जबकि उनका नुकसान बाढ़ से पहले ही हो गया है। ये बरसात से पहले ही बह गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब उनको राहत कार्य में हमारे सहयोग की जो ज़रूरत होगी, हम उसमें उनको पूरा सहयोग देंगे। लेकिन इनका नुकसान इतना ज्यादा हो गया है कि उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, अब की बार जब बरसात का मौसम शुरू हुआ तो हिमाचल प्रदेश में 5 जुलाई से सक्रिय मानसून की शुरूआत हुई। शुरूआती दौर में बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई। कम बारिश हुई है। एवरेज़ से बहुत कम बारिश हुई है। लगभग 30-40 प्रतिशत कम चल रहे थे। ज्यों-ज्यों यह बरसात का मौसम समापन की ओर बढ़ रहा है तो बरसात ज्यादा हो रही है। आमतौर पर अगस्त महीने के बाद सितम्बर माह में बरसात लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन अंतिम दौर में बारिश भी बहुत ज्यादा हुई और नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। मौसम विभाग की ओर से जो हमको सूचना दी गई थी, उस सूचना के मुताबिक हमने अपने प्रशासन को सक्रिय किया है। हमें इस बात का संतोष है। इस बात के लिए मैं पूरे जिला प्रशासन को और हिमाचल प्रदेश के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि एहतियात के तौर पर जो किया जा सकता था उसमें अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसके बावजूद भी नुकसान हुआ है। कुछ बातें ऐसी होती है जो मनुष्य की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। इसी को प्रकृति कहते हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं है।

लेकिन मनुष्य के हाथ में जो प्रयत्न/प्रयास करने की ज़रूरत थी उसको किया गया है। अध्यक्ष महोदय, 30 जुलाई तक हम सामान्य वर्षा से कम चल रहे थे। लेकिन तीन दिन (16 अगस्त से 18 अगस्त तक) मौसम विभाग की ओर से जानकारी थी कि बारिश ज्यादा होगी। मगर इतनी ज्यादा बारिश होगी, इसकी हमने भी कल्पना नहीं की थी। इन तीन दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और उस बारिश के कारण नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। 18 अगस्त, 2019 तक प्रदेश में सामान्य से केवल 3 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा एवरेज से 30 प्रतिशत से कम बारिश का दौर चल रहा था, उसमें अंतिम तीन दिन में इतनी बारिश हुई कि उसमें मात्र 3 प्रतिशत की कमी रह गई। इस भारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश भर में सड़कें टूटीं, पुल टूटे, मकान गिरे और कई जगह भारी भू-स्खलन के कारण बहुत नुकसान हुआ। बगीचे बरबाद हुए और 17 व 18 तारीख की भारी बारिश के कारण दो ही दिनों में हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 25 लोगों की जान गई हैं। इस सारे बीच में अगर हम पूरे मॉनसून, पूरी बरसात का ज़िक्र करें,

20.08.2019/1520/केएस/डीसी/1

इस दौरान पूरे प्रदेश में 63 लोगों की जान गई है। एक बहुत पीड़ा देने वाला हादसा रहा जो कि कुमारहट्टी के पास घटित हुआ । एक ही स्थान पर, एक ही मकान में, एक ही वक्त में 14 लोगों की जान चली गई जिसमें से 13 आर्मी के, आसाम राइफल के नौजवान थे। मैं व्यक्ति रूप से भी वहां पर गया था। हमारे सामने भी दो लाशें निकाली गई। वह बहुत हृदय-विदारक दृश्य था।

अध्यक्ष महोदय, इस बरसात के कारण पूरे प्रदेश में जिन लोगों की जान गई, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहन करने की क्षमता दें, इसकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस बरसात के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 626 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। माननीय सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बात यहां पर कही लेकिन अभी तक यह प्रीलिमिनरी असैसमैंट है। इसकी प्रॉपर असैसमैंट का जायजा केन्द्र की टीम लेती है। उसके बाद पी.डब्ल्यू.डी., आई.पी.एच. तथा बाकी सारे विभाग अपने नुकसान का

असैसमैंट करके जब देते हैं, तब हमारी अपनी रेवन्यू डिपार्टमैंट की टीम जायजा लेती है। वह अभी अलग फीगर आएगी लेकिन मोटे तौर पर अभी तक हिमाचल प्रदेश में 626 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि सबसे ज्यादा सड़कें डैमेज हुई हैं। आई.पी.एच. की स्कीम्ज़ भी डैमेज हुईं, बिजली की सप्लाई डैमेज हुई। इसके साथ-साथ जिसकी इस संकट की घड़ी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हमारे कम्युनिकेशन का सिस्टम भी कोलेप्स हुआ। केवल सड़कों और पुलों का लगभग 386 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह असैसमैंट हमारे पास आई है जिसका हम निरंतर आकलन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 5,929 पेयजल एवं सिंचाई योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं जिस कारण 167.82 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन हमारे पास आया है। इसके अतिरिक्त बरसात के कारण 224 पशुओं की जान भी गई है तथा 799 पक्के तथा कच्चे घर, गौशालाओं तथा दुकानों को भी नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, इस भारी बरसात के कारण कृषि उपज को मु0 38 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया जा चुका है लेकिन अभी हमारा मानना है कि यह बहुत कम है। क्योंकि रेवन्यू को आकलन करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, खासतौर से कृषि के नुकसान का आकलन करने में, तो इसके और भी बहुत ज्यादा बढ़ने की सम्भावना है। हम कोशिश करेंगें कि हमको केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा राहत प्राप्त हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार फसलों को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर ही सहायता राशि देने का प्रावधान है। इस नियम के अनुसार हमको थोड़ी सी कठिनाई आती है।

अध्यक्ष महोदय, इस बरसात के कारण उद्यान उपज को भी भारी नुकसान हुआ है तथा अब तक मु0 6.13 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया जा चुका है और बाकी नुकसान

का आकलन होना बाकी है, जो जारी है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार

20.8.2019/1525/av/डीसी/1

कृषि उपज की तरह उद्यान फसलों को भी 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर सहायता राशि देने का प्रावधान है। हमारे लिए यह भी थोड़ा-सा कठिन होता है यदि 33 प्रतिशत से कम नुकसान है तो उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि का बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं रहता है। बरसात के कारण नुकसान का जो दौर चल रहा है उस नुकसान में जैसे मैंने कहा कि अभी इसकी असैसमैंट करनी बाकी है और इसको हम पूरा कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से नुकसान की भरपाई हेतु नेशनल डिज़ास्टर रिस्पोंस फंड और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पोंस फंड के अंतर्गत मु0 219.65 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। जिसमें से सभी जिलों को मु0 126.05 करोड़ रुपये तथा अन्य संबंधित विभागों को मु0 93.60 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस राशि में से आपदा राहत के लिए समस्त जिलाधीशों को मु0 49.50 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। मानसून के दौरान लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए थे। हमने सड़कों के रख-रखाव व सड़कों की रैस्टोरेशन हेतु लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने को कहा था। इसके अतिरिक्त बार-बार बंद होने वाली सम्भावित सड़कों के ऊपर अतिरिक्त मशीनें लगाई गई हैं ताकि किसानों-बागवानों, पर्यटकों तथा अन्य किसी भी नागरिक को असुविधा का सामना न करना पड़े। हिमाचल प्रदेश फल राज्य के रूप में भी जाना जाता है और यहां पर सेब सीज़न भी शुरू हो चुका है जो कि क्लाइमैक्स पर जाता दिख रहा है। भारी बरसात की वजह से सड़कों को नुकसान पहुंचने के कारण हमारे किसानों-बागवानों को भी बहुत हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है और हमने कोशिश की है कि बड़ी-बड़ी सड़कें जिनका हमारे यहां नुकसान हुआ था उनको हम अब काफी हद तक रैस्टोर करने की स्थिति में आ गये हैं। यहां पर पीछे बरसात के दिनों में व खासकर पिछले तीन दिनों में जो सड़कें डेमैज होती

जा रही थी उनमें से अधिकांश सड़कों को रैस्टोर करने में हम सफल हो पाये हैं। लेकिन बरसात के कारण सड़कों की कंडिशन ज्यादा अच्छी नहीं है; इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है जिसके लिए समय लगेगा। जहां-जहां पर सड़कें अवरुद्ध हुई हैं वहां-वहां पर विभाग की जे0सी0बीज0 व अन्य रिक्वायर्ड मशीनरीज उपलब्ध करवाई है। उसके लिए विभाग की मशीनरीज़ तो लगाई ही हैं मगर साथ में प्राइवेट मशीनरीज़ भी हायर की हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और हमारी सड़कें जल्दी-से-जल्दी रैस्टोर हो सके।

मानसून शुरू होने से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समस्त जिलाधीशों व सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ दिनांक 18 जून, 2019 को एक बैठक हुई थी जिसमें भारी बरसात, बादल फटने व भूस्खलन इत्यादि की स्थिति से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त शिमला दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो व समाचार पत्रों के माध्यम से भी सभी को सचेत किया जा रहा है। मौसम के पूर्वानुमान व नदियों के घटते-बढ़ते जल स्तर तथा बांधों के पानी के स्तर को व्हट्स-ऐप के माध्यम से स्थानीय लोगों व पर्यटकों तक सूचना पहुंचाने का काम किया गया और अभी भी किया जा रहा है। सभी नदी-नालों के तटों के नज़दीक न जाने के चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए। हमने सावधानी बरतने की दृष्टि से इस तरह की काफी कोशिशें की हैं जिससे किसी घटना के घटने से पहले ही सूचना मिल जाए। बांधों द्वारा पानी छोड़ने की सूचना भी लगातार संबंधित लोगों के साथ सांझा की जा रही है।

20.08.2019/1530/टी0सी0वी0/एच0के0/1

प्रदेश के सभी जिलों में क्विक रिस्पोंस टीम गठित की गई है। एन0डी0आर0एफ0 की टीम को नूरपुर, जिला कांगड़ा व सुन्नी, जिला शिमला में तैनात किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। अध्यक्ष महोदय, जिला में बरसात से हो रहे नुकसान की निगरानी हेतु आपदा-राहत नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्य कर रहा है। इन आपदा राहत नियंत्रण कक्षों में किसी भी प्रकार की सहायता व जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर-1070 राज्य स्तर पर व 1077 जिला स्तर पर शुरू किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कल ही विधान सभा सत्र शुरू होने से पूर्व आपने यहां पर एक व्यवस्था की है, जिसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। विधान सभा में पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था नहीं थी। आपने विधान सभा के अंदर मेन कमेटी रूम में इसकी व्यवस्था की है और हमने इसके माध्यम से प्रदेश के जिलाधीशों, एस0पीज0 व विभिन्न अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की। बरसात के कारण उनके जिला में जो नुकसान हुआ है, उन्होंने उसके बारे में बात की और इसकी भरपाई हेतु जो कदम उठाए गए, उससे भी अवगत करवाया। इसके अलावा अभी और किस तरह से सतर्कता बनाये रखनी है, इसके संदर्भ में भी हमने बातचीत की। प्रदेश में बरसात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पिछले कल ही 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि सभी जिलाधीशों को जारी कर दी गई है। कई बार यह भी देखा गया है कि जब इस प्रकार की आपदा आती है तो चाहे वह मोबाइल या लैंड लाइन नेटवर्क की बात हो अक्सर कम्युनिकेशन के सारे सिस्टम काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमने जिलों में उपमण्डलाधिकारियों को सेटेलाइट फोन देने के निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी परिस्थिति में सेटेलाइट फोन के माध्यम से कम्युनिकेशन बना सकें।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बरसात के कारण अभी तक सिचांई एंव जन स्वास्थ्य विभाग की 5629 स्कीमें प्रभावित हुईं हैं और 269.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह जी ने यहां पर बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और उन सुझावों के माध्यम से जो कुछ बेहतर किया जा सकता है, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। बरसात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सभी उपायुक्तों को 76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 करोड़ रुपये भी जारी किए जा चुके हैं। माननीय विधायक श्री राकेश सिंघा जी ने भी यहां पर रोड की क्वालिटी व कलवट्र्स के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूं। कई बारे देखने में आया है कि बरसात के कारण नुकसान कम होता है लेकिन ड्रेनेज़ सिस्टम ठीक न होने के कारण सड़कों को बहुत नुकसान होता है। आज भी इसमें बहुत-सारी कमियां हैं और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। हमने दूसरे देशों में भी देखा है, हम वहां पर बरसात के ही मौसम में गये थे। हमने वहां देखा कि बरसात हो रही थी लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती थी क्योंकि वहां पर ड्रेनेज़

सिस्टम बहुत अच्छा है और उसको चैनलाइज करके इस तरह से पानी को निकालने का रास्ता निकाला है,जिसके कारण सड़कें डैमेज नहीं होती है। हमारे यहां बरसात में ड्रेनेज़ सिस्टम ठीक न होने के कारण और कलवट्र्स बंद पड़े होने के कारण पानी सड़कों को बहाकर ले जाता है।

20-08-2019/1535/NS/HK/1

इससे सड़कों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां की परिस्थितियों की यहां से तुलना नहीं की जा सकती है। वहां की टोपोग्राफी और भौगोलिक परिस्थितियां यहां से अलग हैं। हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि बरसात से पहले कम-से-कम जिन स्थानों पर पानी की स्थिति हमें अच्छी तरह से मालूम है कि यहां पर नदी या नाले का पानी इतनी मात्रा में आता है तो वहां पर कलवर्ट और नालियां को क्लीयर रखा जाएगा ताकि बरसात में हम सड़कों को कटाव से बचा सकें। यह बहुत अच्छा सुझाव है। एक सुझाव यह भी आया कि राजस्व नियमावली के अनुसार जमीन के नुकसान पर प्रति हैक्टेयर 37,500/- रुपये की राहत राशि देने का प्रावधान है और यह राशि कम है। हमें भी लगता है कि आज की परिस्थिति के हिसाब से यह राशि कम है। हमारे पास आपका एक सुझाव आया है कि आने वाले समय में हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं? हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

माननीय सदस्य श्री राजिन्द्र गर्ग जी के विधान सभा क्षेत्र के एक गांव करयालग में बहुत नुकसान हुआ है और वहां लगभग 23 परिवार प्रभावित हुए हैं। मुझे सुबह 6.00 बजे गांवो के लोगों का फोन आया कि इस गांव में जो मकान हैं, वे धंस गए हैं व पशु बीच में फंसे हुए हैं और हम सब एक जगह पर खड़े हैं। अगर हम यहां से नहीं निकलेंगे तो थोड़ी देर के बाद हमें भी यहां से निकालना कठिन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं बचेगा। मैंने तुरंत जिलाधीश से बात की। जिलाधीश वहां पर नहीं थे तो मैंने ए0डी0एम0 (बिलासपुर) से बात की। ए0डी0एम0 ने तुरंत एस0डी0एम0 से कंटैक्ट किया और वे तुरंत वहां गए। उसी समय माननीय विधायक का भी मुझे फोन आया और ये स्वयं वहां गए तथा राहत कार्यों का ज़ायजा लिया व उनको सहयोग भी किया। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। वहां पर पशुओं का नुकसान हुआ और हम उनको नहीं बचा पाए। मुझे इस बात का संतोष है कि हम वहां से लोगों को निकालने में सफल हुए। वहां पर जो नुकसान

हुआ है उसके लिए अतिरिक्त जिला प्रशासन ने सात प्रभावित परिवारों को लगभग 12,48,200/- रुपये की राशि जारी कर दी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां पर भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। आने वाले समय में हम और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे।

माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने भी यहां पर जिक्र किया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गैहरा जिला मण्डी की दीवारों पर दरारें आई हैं और नुकसान पहुंचा है। मैं इसके लिए कहना चाहता हूं कि वहां पर भूमि का शीघ्र चयन करके नए भवन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

माननीय सदस्य श्री परमजीत सिंह जी ने भी यहां पर अपनी बात रखी है और कहा है कि सड़कों की मरम्मत के लिए तुरंत आदेश दें। नदी-नालों का चेनलाईजेश किया जाए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी छोटी-बड़ी सड़कों को शीघ्र रि-स्टोर करके उनमें वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर ये सभी विषय रखे गए हैं। माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने भी यहां पर अपनी बात रखी है। इन्होंने कहा कि इस आपदा में लगभग 100 से ज्यादा पशु बह गए हैं। इन्होंने सुझाव दिया कि आने वाले समय में हमें और भी सतर्कत्ता बरतने की आवश्यकता है। नदी-नालों का चेनलाईजेशन करने की आवश्यकता है। मेज़र स्कीमों के रख-रखाव को ठीक करने की आवश्यकता है।

20.08.2019/1540/RKS/YK-1

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा पर सुझाव दिए हैं, मैं उन सुझावों का अभिनंदन करता हूं। माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेकर अपने प्रदेश व क्षेत्र के प्रति जो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारी बरसात के कारण जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनका हमें बहुत दुःख है। प्रदेश सरकार की ओर से उनके परिवारों को जो सहायता दी जा सकती है उस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। नुकसान का सही आकलन लगाने के लिए

केंद्र से एक टीम आती है। जब वह टीम यहां आएगी तो उनके सामने हम अपना दावा सही ढंग से प्रस्तुत करेंगे ताकि हमें केंद्र सरकार से ज्यादा-से-ज्यादा मदद मिल सके। प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की ओर से जो राशि मुहैया की जाएगी उसके माध्यम से जल्द-से-जल्द सड़कों व सिंचाई योजनाओं की मरम्मत की जाएगी और बिजली तथा संचार व्यवस्था को भी ठीक प्रकार से बहाल किया जाएगा। इन सभी चीजों को बहाल करने के लिए हम प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी राहत देने का प्रावधान किया गया है। जिन लोगों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें पूरी मदद देने का प्रावधान रखा गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिन परिवारों को मदद करने की आवश्यकता होगी, हम उनकी मदद अवश्य करेंगे। निमय-130 के अंतर्गत जो माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनके सुझावों का संकलन करते हुए जो कार्रवाई की आवश्यकता होगी वह आने वाले समय में की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बात कहकर नियम-130 की चर्चा को अपनी ओर से समाप्त करता हूं।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, 21 अगस्त, 2019 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 20 अगस्त, 2019 **सचिव**